

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,

न्यायालय सं0—7, बदायूँ

पीठासीन भूदेव गौतम, एच.जे.एस.

सत्र परीक्षण संख्या: 310 /2013

सरकार

बनाम

1—महीपाल पुत्र श्री लालमन,
निवासी ग्राम कनकपुर,
थाना दातागंज, जिला बदायूँ

धारा 364, 302, 201 506 भा0दं0सं0
थाना: दातागंज, जिला बदायूँ
अपराध संख्या: 06 / 2013

निर्णय

अभियुक्त महीपाल पुत्र लालमन के विरुद्ध थाना दातागंज, जिला बदायूँ की पुलिस द्वारा अपराध संख्या: 06 / 2013 में विवेचना के उपरान्त धारा 364, 302, 201 506 भा.दं.सं. में आरोप पत्र विचारण के प्रयोजन से प्रस्तुत किया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 11—01—2013 को वादी विद्याराम के द्वारा तहरीर इस आशय की थाना दातागंज पर अपने व अपने भाई के बच्चे की गुमशुदगी के सम्बंध में दाखिल की है कि प्रार्थीगण कनकपुर, थाना दातागंज के निवासी हैं। प्रार्थीगण के पुत्र वीकेश, उम्र 6 वर्ष, हुलिया गोरा रंग, लम्बाई लगभग 2 फुट 5 इंच व जींस पैन्ट नीले रंग की, अंदर बनियान गोल गले के उपर नीले रंग की जर्सी पहने, पैर में काले रंग की चप्पल पहने हुए हुए है। दूसरा बच्चा जितेन्द्र पुत्र ब्रजेश उम्र 07 वर्ष हुलिया, सांवला रंग, लम्बाई 3 फिट व हाफ नेकर नीला शर्ट हाफ अपर लाल जरसी में चैन पड़ी उधारी हुई और पैर में काली चप्पल पहने हुए है जो कि दिनांक 09—01—2013 की दोपहर दिनांक 11.00 बजे गाँव में खेल रहे थे उसके बाद इन दोनो बच्चों का आज तक पता नहीं है। काफी रिश्तेदारी/अन्य जगह तलाश किया इन बच्चों का पता नहीं चल पा रहा है यह दोनो बच्चे वीकेश, जितेन्द्र दिनांक 09—01—2013 से लापता हैं। प्रार्थी बच्चों के लापता होने की सूचना देने आया है। रिपोर्ट दर्ज कर के मेरे

बच्चों का पता लगाने की कपा करें।

प्रार्थीगण की तहरीर के आधार पर इसका तस्करा जी0डी0 नम्बर 16 समय 3.20 बजे दिनांक 11–01–13 को किया गया। दिनांक 14–01–13 को प्रार्थीगण विद्याराम एवं ब्रजेश की ओर से एक अन्य तहरीर थाना दातागंज पर देकर बताया गया कि उनके पुत्र वीकेश पुत्र विद्याराम उम्र 6 वर्ष व जितेन्द्र पुत्र ब्रजेश उम्र 7 वर्ष दिनांक 09–01–2013 को गॉव के किनारे खेलते हुए गायब हो गये थे जिसकी गुमशुदगी दर्ज गरायी गयी थी। अब मुझे पूर्ण आशंका है कि हमार बच्चों का अज्ञात लोगों द्वारा आहरण किया गया है तथा फोन नम्बर 7895848163 से हमारे मोवाइल पर जान से मारने की धमकी दिनांक 11–01–2013 को दी गयी तथा यह भी कहा गया है कि मुझसे आकर मिलो, पता नहीं बताया वरना तुम्हारे बच्चों को जान से मार डालूँगा। मुझे डर है कि अपहरणकर्ता मेरे बच्चों की हत्या न कर दें। इस तहरीर के आधार पर गुमशुदगी अपराध संख्या 06/2013, धारा 364, 506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत थाना दातागंज पर दर्ज की गयी तथा उसका तस्करा जी0डी0 क्रमांक 11 समय 11.10 बजे दिनांक 14–01–2013 को किया गया।

विवेचक के द्वारा वादीगण को साथ लेकर बच्चों को अंतिम बार देखे जाने की जगह का निरीक्षण करके नक्शानजरी बनाया गया तथा आस–पास के लोगों का व्यान लिया गया।

वादी द्वारा शकशुभा जाहिर करने पर महीपाल को थाना लाकर पूछताछ की गयी जिसमें उसके द्वारा लगभग 11.00 बजे दिनांक 09–01–2013 उको दोनों बच्चों के अपने घर पर आने तथा जमीन के लालच में दोनों बच्चों के गले में रस्सी बांध कर हत्या कर देने तथा लाशों को अपने घर में बैलों को चारा खिलाने वाली लड़ौरी (लड़ामनी) के पास गाड़ दिया और रस्सी पास ही लड़ौरी में डाल दी। अभियुक्त के यह स्वीकार करने पर कि वह बच्चों की लाशें व रस्सी बरामद करा सकता है, अभियुक्त को पुलिस फोर्स के साथ ग्राम कनकपुर में ले जाकर उसकी निशांदेही पर बताये हुए स्थान को फावड़ा से खोदने पर लड़ौरी के अन्दर मृतक वीकेश व जितेन्द्र की लाशें बरामद हुईं तथा

गड्ढे के पास लड़ौरी से एक अदद रस्सी 3 हाथ 8 अंगुल तथा दूसरी रस्सी 3 हाथ 4 अंगुल की बरामद हुई, मकान के पश्चिमी किनारे से एक अदद सिम ऐयरटेल कम्पनी का, जिसका नम्बर 7895848663 बरामद हुआ। दोनों बच्चों की लाशों का मौके पर पंचनामा तैयार कर आवश्यक कागजात के साथ पोस्टमार्टम के लिए भेजी गयीं तथा बरामदा रस्सियों को अलग-अलग कपड़े में रख कर तथा बरामदा सिम को एक माचिस की डिब्बी में रखकर सिल कर सर्वेमोहर कर नमूना बनाया गया तथा मौके पर फर्दबरामदगी तैयार कर के लाश बरामदगीस्थल का नक्शानजरी बनाया गया और अभियोग में धारा 302, 201 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी, जिसका खुलासा रपट नम्बर 18 समय 16.30 बजे पर किया गया।

एस०आर० केस होने के कारण विवेचना थाना प्रभारी को अंतरित हुई। विवेचक ने पूर्व विवेचक द्वारा तैयार की गयी विवेचना का अवलोकन करके पंचान के ब्यान अंकित किये ताकि चिकित्सक, जिसके द्वारा मृतकों का शव विच्छेदन किया गया, का ब्यान लिया गया और अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र धारा 364, 302, 201, 506 भा०दं०सं० के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रसंज्ञान लेकर सम्बंधित दण्डाधिकारी के द्वारा अभियुक्त को धारा 207 दं०प्र०सं० के उपबंधों के अधीन आवश्यक कागजातों की नकलें प्रदान की गयीं तथा अनन्यतः सत्र न्यायलय के द्वारा विचारणीय होने के कारण अपने आदेश दिनांक 18-04-2013 के द्वारा मामले को विचारण हेतु सत्र न्यायलय को सुपुर्द किया गया।

विचारण का उल्लेख होने पर मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप धारा 364, 506, 302 प 201 भा०दं०सं० के अंतर्गत विरचित किया गया जिससे अभियुक्त ने इनकार किया और विचारण की मॉग की।

विचारण के आरम्भ होने पर अभियुक्त के पैरवी कर रहे अधिवक्ता के द्वारा साक्षीगण से प्रतिपरीक्षा करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए दिनांक 07-11-2013 व 26-11-2013 को स्थगन प्रस्तुत किया गया। दिनांक 30-01-2014 को अभियुक्त के द्वारा न्यायलय में

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह कारागार मे निरुद्ध है और गरीब होने के कारण अपनी पैरवी नहीं कर सकता अतः उसे सरकारी खर्च पर कोई वकील (वादमित्र) दिलाया जावे। इस पर अभियुक्त को सुनने के उपरान्त व उसका कोई पैरवीकार उपस्थित न होने के कारण जनपद न्यायालय में तैयार की गयी 'ऐमीक्स क्यूरी' की सूची से कमानुसार वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आलम खां एडवोकेट एवं नोटरी पंजीयन संख्या 1329 / 1979 को उसकी प्रतिरक्षा के लिए 'ऐमीक्स क्यूरी' (वादमित्र) नियुक्त किया गया, जिन्हें दाण्डक वादों के संचालन का लगभग 35 वर्ष का अनुभव है।

अभियोजनपक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में पी.डब्ल्यू-1 विद्याराम, पी.डब्ल्यू-2 ब्रजेश, पी.डब्ल्यू-3 शेर सिंह, पी.डब्ल्यू-4 डाक्टर ए.पी.० गौतम, पी.डब्ल्यू-5 कांस्टेविल सुरेन्द्र सिंह, पी.डब्ल्यू-6 कांस्टेविल उरवीर सिंह, पी.डब्ल्यू-7 अशोक पाल हाल तैनाती काइम ब्रान्च डी.आई.जी. रेन्ज, बरेली, पी.डब्ल्यू-8 कांस्टेविल कालीचरण को परीक्षित कराया गया है।

पी.डब्ल्यू-1 विद्याराम ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि हम पाँच भाई हैं, जिनमें से एक भाई रामरहीस की लगभग 15 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है अब हम चार भाई हैं। मैं, विद्याराम, ब्रजेश, अवधेश तथा सुरेन्द्रपाल जीवित हैं। हमारे दादा तीन भाई थे, जोरावर, हुलासी और नथू। जिनमें जोरावर की शादी नहीं हुई थी। हुलासी के तीन लड़के रामपाल, लालमन व रिशीपाल थे। रिशीपाल के हम पाँच बेटे थे जिनमें से राम रहीस खत्म हो गया है। हाजिर अदालत मुल्जिम महीपाल लालमन का लड़का है जो रिश्ते में मेरा सगा चचेरा भाई है। जोरावर ने अपने हिस्से की चार बीघा जमीन व अन्य सारी सम्पत्ति मेरी माँ सुशीला के नाम इस घटना से करीब दस पूर्व कर दी थी तभी से मुल्जिम महीपाल हमसे दिली रंजिश मानता था। आज से करीब दस महीना पहले की बात है दोपहर के 11 बजे का समय था। मेरा बेटा वीकेश उम्र लगभग 6 वर्ष और मेरे भाई ब्रजेश का लड़का जितेन्द्र उम्र करीब 7 वर्ष गाँव में घर के सामने खेल रहे थे। खेलते-खेलते ही दोनों गायब हो गये। मैंने व मेरे परिवार वालों ने दोनों बच्चों को सब जगह व रिश्तेदारी

में तलाश किया परन्तु कुछ पता नहीं चला फिर दूसरे दिन मैंने अपने बच्चों की मुमशुदगी की तहरीर लिखवाकर थाने में दी। तहरीर में बच्चों की हुलिया तथा पहने हुए कपड़ों का रंग बता व लिख दिया था। गवाह को तहरीर दिनांकित 11–01–2013 दिखाई व पढ़कर सुनायी गयी तो उसने सुनकर व देखकर कहा कि यह वही तहरीर है जो मैंने व मेरे भाई ब्रजेश ने लिखवाकर थाने में दी थी जिस पर मेरा निशानी अँगूठा व मेरे भाई ब्रजेश के हस्ताक्षर हैं, शामिल मिसल है इस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। दिनांक 14–01–2013 को एक तहरीर/ प्रार्थना पत्र श्रीमान प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, दातागंज को दिया जिसमें मैंने अपने दोनों बच्चों को अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण करने तथा फोन नम्बर 7895848163 से जान से मारने की धमकी दिनांक 11–01–2013 को दी गयी थी तथा मुझसे यह भी कहा गया कि मुझसे आकर मिलो वरना तुम्हारे बच्चों को जान से मार डालूँगा। तभी मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि अपहरणकर्ता मेरे बच्चों की हत्या न कर दे। इस आशय की मैंने तहरीर लिखवाकर थाने में दी थी। गवाह को तहरीर दिखाई व पढ़कर सुनाई तो गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है जो मैंने लिखाकर थाने में दी थी इस पर मेरा निशानी अँगूठा लगा है, शामिल मिसल है, कागज संख्या 5-क/2 है। इस पर प्रदर्श क-2 डाला गया। जो दिनांक 14–01–2013 को थाने में लिखकर दी गयी थी। मुल्जिम उक्त मोवाइल नम्बर से आवाज बदल बदल कर बात करता था और कहता था कि रूपयों का इन्तजाम कर लाओ तेरे बच्चे पकड़ में हैं और रूपये पहुँचाने की जगह बदल-बदल कर बताता था, तभी मुझे अपने चचेरे भाई महीपाल हाजिर अदालत पर शक हुआ और महीपाल मेरे व मेरे भाई के पास रूपये मँगाने को पर्चे डालता था और फिर पर्चा डालने के बाद हमसे इस बात की तहकीकात करता था कि फिरौती के लिए पर्चा तो नहीं आया। शक होने पर मैंने व मेरे भाई ब्रजेश ने सारी बात पुलिस को बतायी तभी पुलिस वालों ने महीपाल को पकड़ कर पूछताछ की तो उसने दिनांक 22–01–2013 को अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि मेरे दादा जोरावर ने अपनी 5 बीघा जमीन वीकेश व बितिन्द्र की दादी सुशीला के नाम कर दी थी इसका मुझे बहुत दुख था और

इसी वजह से मैंने दोनों बच्चों की हत्या करके बैलों के चारा खाने वाली लड़ौरी के पास जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया है और जिस रस्सी से गला दबाकर हत्या की थी वह रस्सी भी वही दबा दी है तभी पुलिस वालों ने हम गॉव वालों की मौजूदगी में महीपाल की निशांदेही पर गड्ढा खोदकर दोनों बच्चों की लाश व रस्सी को निकाला और उसकी सारी लिखा पढ़ी हमारे सामने की गयी। दोनों शव व रस्सी की फर्द पर मेरे हस्ताक्षर कराये। गवाह ने फर्द देखकर कहा कि यह वही फर्द है जो मौके पर पुलिस वालों ने शवों की बरामदगी के समय तैयार की थी जो कागज संख्या 5-क है इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं इस पर प्रदर्श क-3 डाला गया। दोनों शवों को बाहर निकालकर पुलिस वालों ने शवों का पंचायतनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए बदायूँ भेजा। मुझ पर व मेरे भाई व्रजेश पर मृतक इकलौते पुत्र थे। मुल्जिम महीपाल ने हम दोनों भाइयों का वंश मिटाने व जमीन हड्डपने की नीयत से मेरे व मेरे भाई के लड़कों की हत्या की है। यही बयान मैंने दरोगाजी को उनके पूछने पर दिया था।

पी.डब्ल्यू-2 व्रजेश ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि आज से करीब एक साल पहले की बात है दोपहर 11 बजे का वक्त था। मेरा लड़का जितेन्द्र व मेरे भाई विद्याराम का लड़का वीकेश उम्र लगभग 6 वर्ष और मेरे लड़के जितेन्द्र की उम्र लगलग 7 वर्ष थी, गॉव में घर के सामने खेल रहे थे। खेलते-खेलते दोनों गायब हो गये। जिनको आखिरी बार गॉव के किशनपाल पुत्र बेनीराम की खाली जगह में खेलते हुए देखा था परन्तु यह बात कोई कहने को तैयार नहीं है कि हमने देखा था। यह बात मुल्जिम के डर की वजह से कोई नहीं बताना चाहता। मैंने व मेरे भाई विद्याराम ने दोनों बच्चों को सभी जगह व रिश्तेदारी में तलाश किया परन्तु उनका कोई अता-पता नहीं चला तब हम दोनों भाई दूसरे दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने थाने और रिपोर्ट लिखाते समय बच्चों के कपड़े व हुलिया सब लिखा दिया था। गवाह को तहरीर प्रदर्श क-1 दिखाई व पढ़कर सुनायी तो उसने कहा कि यह वही तहरीर है जो हम दोनों भाइयों ने लिखाकर थाने में दी थी जिस पर मेरा निशानी अँगूठा लगा है व मेरे भाई के हस्ताक्षर हैं। उसके बाद

मुझे व मेरे भाई विद्याराम को टेलीफोन पर जान से मारने की धमकी उसी दिन दी गई जिस दिन हमने अपने बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखायी थी और यह कहा गया था कि हमसे आकर मिलो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को जान से मार देंगे। यह धमकी मेरे भाई विद्या राम को दी थी। इसके बाद दिनांक 14-01-2013 को थाना दातागंज में जाकर एक तहरीर मैंने और मेरे भाई ने इस बात की लिखाकर थाने में दी थी कि हमें फोन से धमकाया जा रहा है जो प्रदर्श क-2 के रूप में शामिल पत्रावली है इस पर मेरा निशानी अँगूठा व मेरे भाई के हस्ताक्षर हैं। हाजिर अदालत मुल्जिम उक्त मोवाईल से आवाज बदल बदल कर बात करता था और कहता था कि रूपयों का इन्तजाम कर लाओ, तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ दूँगा और अगर रूपये नहीं दोगे तो बच्चों को जान से मार दूँगा और हमारे घर में पर्चे भी डालता था फिरौती मॉगने को। तभी मेरे भाई विद्याराम को पूरा शक हो गया कि हमारे बच्चों को मुल्जिम महीपाल ने ही मारा है। तभी विद्याराम ने व मैंने इस बात की जानकारी थान दी और थाने की पुलिस ने महीपाल को पकड़कर मार लगाई तो उसने अपने जुर्म स्वीकार करते हुए दोनों बच्चों की लाशों को बैलों की लड्डौरी के नीचे से निकाल कर दिया और बताया कि मैंने थोड़े से लालच में जितेन्द्र व वीकेश दोनों की रस्सी से गला बॉध कर हत्या कर के इस लड्डौरी के नीचे गड्ढा खोद कर गाड़ दिया था। हमारे दोनों बच्चों की हत्या हाजिर अदालत मुल्जिम महीपाल ने ही की है। यही बात मैंने दरोगाजी को अपने ब्यानों में बतायी थी।

पी.डब्ल्यू-3 शेर सिंह ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि करीब एक साल पाँच माह पहले की मेरे ही गॉव के वीकेश पुत्र विद्याराम उम्र 6 वर्श व जितेन्द्र पुत्र व्रजेश उम्र सात वर्श गांव में खेलते-खेलते लापता हो गये थे। इसके तेरह दिन बाद अभियुक्त महीपाल पुत्र लालमन मौर्य, जो मेरे ही गॉव का है, इसे मैं पहले से जानता था, को पुलिस पकड़ कर लायी थी तथा दरोगाजी ने मुझे अभियुक्त महीपाल के साथ व विद्याराम को भी साथ में लेकर एटनास्थल पर गये, जहाँ से (महीपाल के घर से) अभियुक्त महीपाल

आगे—आगे चलकर अपने घर के पश्चिम में बनी लड़ौरी के पास पैर रखकर बताया कि यह मिट्टी जो दबी हुई है, यहीं पर मैंने दोनों बच्चों वीकेश व जितेन्द्र की रस्सियों से टॉग कर हत्या करके गड्ढा खोदकर दबा दिया है। मेरे व विद्याराम व पुलिस वालों के सामने अभियुक्त द्वारा बताये गये स्थान को फावड़ा से खोदा गया तो करीब तीन फुट खोदने पर गड्ढे के अन्दर से मृतक वीकेश व जितेन्द्र की लाशें बरामद हुई तथा गड्ढे के पास लड़ौरी से एक रस्सी सन लम्बाई तीन हाथ आठ अंगुल व दूसरी रस्सी सन लम्बाई तीन हाथ चार अंगुल बरामद हुई तथा अभियुक्त महीपाल की निशांदेही पर मकान के पश्चिमी कमरे के त्रिपाल से एक अदद सिम एयरटेल कम्पनी जिस पर एक तरफ सफेद व एक तरफ लाल रंग है जिसका नम्बर 7895848163 बरामद हुआ। दरोगाजी ने वहीं दोनों रस्सियों को अलग—अलग कपड़े में रखकर तथा बरामदा सिम को एक माचिस की डिब्बी में रखकर अलग—अलग कपड़ों में रखकर सिल कर मौके पर ही सील किया गया था और वहीं फर्द बनायी गयी थी जिस पर मेरे हस्ताक्षर कराये थे और विद्याराम व महीपाल और पुलिस वालों ने भी हस्ताक्षर किये थे। गवाह को कागज संख्या 5—क प्रदर्श क—3 की पुश्त पर मौजूद अपने दस्तखत देखकर कहा यह वही दस्तखत हैं जो मैंने फर्द बनाते समय मौके पर किये थे।

पी.डब्ल्यू.—4 डाक्टर ए०पी० गौतम ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि दिनांक 23—01—2013 को मैं परामर्शदाता जिला चिकित्सालय, बदायूँ पर तैनात था। उसी दिन जितेन्द्र बुत्र ब्रजेश मौर्य, निवासी कनकपुर, थाना दातागंज, जिला बदायूँ का शव लेकर कांस्टेविल सी०पी० ओम प्रकाश और सी०पी० 460 हरनंदन, थाना दातागंज, बदायूँ आये थे और शव की शिनाख्त की थी। शव एक कपड़े में सील था। सील का मिलान मेरे द्वारा किया गया था जो ठीक पाया गया था। शव जमीन से खोदकर परीक्षण हेतु लाया गया था। मृतक की उम्र लगभग 7 वर्ष थी वह पुरुष बच्चा था। शव औसत कद काठी का था। ऊँखों की जगह खाली थीं। मुँह में मिट्टी भरी हुई थी। खाल जगह—जगह से उखड़ रही थी। पेट फूला हुआ था। शव के उपर शरीर पर मिट्टी मौजूद थी। शव का विच्छेदन करने पर सांस की नली अन्दर से बुरी

तरह कंजेस्टेड ; ब्वदहमेजमक द्व थी। हाइड बोन टूटी हुई पायी गयी, जिगर, दोनो फेफड़े, दोनो किडनी (गुर्दे) कंजस्टिड; ब्वदहमेजमक द्व पाये गये थे। मस्तिशक तरल में बदल गया था। हृदय का वजन 100 ग्राम, दाहिना चैम्बर भरा व बायो चैम्बर खाली था। लीवर का वजन 900 ग्राम कंजस्टिड; ब्वदहमेजमक द्व था, तिल्ली का वजन 60 ग्राम कंजस्टिड; ब्वदहमेजमक द्व थी, गुर्दे 80 ग्राम कंजस्टिड; ब्वदहमेजमक द्व थे, मूत्राशय खाली था। मेरी राय में गला दबाने से दम घुटने के कारण मृतक की मृत्यु हुई थी। मृतक के शरीर पर एक कमीज, एक टीशर्ट, एक बनियान, एक जर्सी, एक करधनी, एक गले का धागा, एक कच्छा कुल 7 अदद मौजूद थे। शव, पुलिस पेपर, एक कपड़ों का सील्ड बंडल लाने वाले पुलिसकर्मियों को प्राप्त करा दिये थे। शव विच्छेदन रिपोर्ट मैंने वरवक्त निरीक्षण तैयार की थी जो पत्रावली पर कागज संख्या 9क/1 के रूप में शामिल है मेरे लेख व हस्ताक्षर में है इस पर प्रदर्श क—4 डाला गया।

इसी दिन विकेश पुत्र विद्याराम निवासी कनकपुर थाना दातागंज, जिला बदायू के शव को भी उपरोक्त पुलिस कर्मी परीक्षण हेतु लेकर आये थे और शव की शिनाख्त की थी। शव कपड़े में सील था। मेरे द्वारा सील का मिलान किया गया और सही पाया। शव मिट्टी से खोदकर निकाला गया था। शव की उम्र लगभग 6 वर्श थी। मृत्यु का समय लगभग दो सप्ताह होगा। शव औसत कद काठी का था। आँखें और मुँह खुले थे। खाल जगह—जगह से उखड़ गयी थी। नाखून और बाल लूज हो गये थे, पेट फूला हुआ था। पूरी शरीर पर मिट्टी मौजूद थी। सांस नली पूरी तरह कंजस्टिड थी, हाइड बोन टूटी हुई थी। यकृत, दोनो फेफड़े, दोनो गुर्दे, तिल्ली कंजस्टिड पायी गयीं। मस्तिशक तरल हो गया था, हृदय का वजन 60 ग्राम था, दाहिनी तरफ भरा हुआ व बायीं तरफ खाली था, दॉक 10/10, आमाशय खाली, यकृत का वजन 800 ग्राम, तिल्ली का वजन 30 ग्राम, दोनो गुर्दे 100 ग्राम, मूत्राशय खाली था। मेरी राय में मृत्यु गला घोटने से दम घुटने के कारण हुई थी। शव पर एक कमीज, एक पैन्ट, एक अंडरवियर, एक बनियान, एक जर्सी, एक कलावा धागा कुल 8 अदद मौजूद थे। शव, पुलिस पेपर्स,

कपड़ों का एक सील्ड बंडल लाये गये पुलिसकर्मियों के सुपुर्द कर दिये गये थे।

शब्द विच्छेदन रिपोर्ट मैंने वरवक्त निरीक्षण तैयार की थी जो पत्रावली पर कागज संख्या 9क/2 के रूप में शामिल है, मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है इस पर प्रदर्श क-5 डाला गया। उपरोक्त दोनों मृतक जितेन्द्र तथा वीकेश की हत्या दिनांक 09-01-2013 को होना संभव है।

पी.डब्ल्यू-5 कांस्टेविल सुरेन्द्र सिंह ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि दिनांक 14-01-2013 को मैं थाना दातागंज में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उसी दिन इस अभियोग की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गयी थी। उस दिन मैंने पूर्व में किता गुमशुदगी नकल प्रार्थना पत्र वादी व नकल रपट कायमी गुमशुदगी रपट संख्या 1320 एवं नकल द्वितीय प्रार्थना पत्र वादीगण एवं नकल रपट कायमी मुकदमा रपट नम्बर 17 दिनांक 14-01-2013 नकली तलाश गुमशुदा गश्ती व नकल रिपोर्ट गश्ती कार्वन कापी, ब्यान लेखक तरमीमी मुकदमाएंच०सी०

इन्द्रपाल सिंह लिखे थे और अभियुक्त द्वारा जो फोन नम्बर 7895848163 से धमकी देना बताया गया था उसकी आई० डी० व कॉल डिटेल निकलवाने के लिए पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया गया तत्पश्चात ब्यान वादी विद्याराम और ब्यान सहवादी ब्रजेश अंकित किये गये तथा वादी व सहवादी को लेकर मृतकों को अन्तिम बार देखे जाने की जगह का निरीक्षण घटना रथल किया गया। नक्शानजरी बनाया गया जो कागज संख्या 6क/2 है मेरे लेख व हस्ताक्षर में है इस पर प्रदर्श क-6 डाला गया। वहीं मौके पर आसपास के लोगों ब्रजेश पुत्र टीकाराम पंडित, लालमन, रामनरायन, सुमेश व श्रीकृष्ण से पूछताछ पर बताया कि इस जगह पर लड़कों को खेलते हुए देखा था, अब पता नहीं चल रहा है कि लड़के कहाँ गये। दिनांक 22-01-2013 को पर्चा द्वितीय किता किया गया जिसमें अभियुक्त महीपाल को थाने लाकर वहवाले रपट नम्बर 15 समय 11.30 बजे वादी द्वारा शक किये जाने पर गहन पूछताछ की गयी। अभियुक्त महीपाल द्वारा जुर्म का इकबाल करते हुए बताया

कि दिनांक 09–01–2013 को मेरे परिवार के वीकेश पुत्र विद्याराम उम्र 6 वर्ष व जितेन्द्र पुत्र ब्रजेश मौर्य उम्र करीब 7 वर्ष मेरे लिये खाना लेकर करीब 11.00 बजे मेरे घर गये थे। वीकेश व जितेन्द्र के चचेरे दादा ने अपनी पॉच बीघा जमीन वीकेश व जितेन्द्र की दादी श्रीमती सुशीला के नाम कर दी थी जिससे मुझे बहुत दुख हुआ था। जितेन्द्र ब्रजेश का अकेला लड़का था तथा वीकेश विद्याराम का अकेला लड़का था। जमीन के लालच में मैंने जितेन्द्र व वीकेश दोनों की रस्सी से गला बॉध कर हत्या कर दी है और दोनों बच्चों की लाशों को अपने घर के बैलों के चारा खाने वाली लड़ौरी के पास गाड़ दिया था। जमीन गड़दा खोद कर गाड़ दिया है व रस्सी पास ही लड़ौरी में डाल दी है और कहा कि चलकर आपको लाशों व रस्सी को चल कर बरामद करा सकता हूँ। इस बात पर विश्वास करके मय फोर्स के गॉव कनकपुर पहुँचे व महीपाल की निशांदेही पर बच्चों की लाश व रस्सी बरामद की। मौके पर फर्द तैयार की जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षरित है। अभियुक्त द्वारा बताये हुए स्थान को फावड़ा से खोदा गया तो करीब 3 फिट खोदने पर गड़दे के अन्दर से मृतक वीकेश व जितेन्द्र की लाशें बरामद हुई तथा गड़दे के पास लड़ौरी से एक अदद रस्सी सन लम्बाई 3 हाथ 8 अँगुल तथा दूसरी रस्सी सन लम्बाई 3 हाथ 4 अँगुल बरामद हुई तथा मकान के पश्चिम कमरे से तखाल से एक अदद सिम एयरटेल कं0 जिस पर एक तरफ सफेद व एक तरफ लाल जिसका नम्बर 7895848663 बरामद हुआ। दोनों रस्सियों को अलग-अलग कपड़ों में रखकर तथा बरामदा सिम को एक माचिस में रखकर अलग-अलग कपड़ों में रखकर, सिलकर सर्वेमुहर कर नमूना मुहर बनाये गये। फर्द मौके पर मुझ उपनिरीक्षक द्वारा तैयार की गयी। मजमून फर्द हमराही फोर्स व अभियुक्त तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर बनवाये गये। फर्द कागज संख्या 5क/1 प्रदर्श क-3 शामिल पत्रावली है, मेरे सामने है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है इस पर हमराहियान व गवाहान व अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। फर्द की नकल संलग्न सी0डी0 की गयी। उसी दिन मृतकों के पंचायतनामा व दीगर कागजात तैयार कर लाशों को सील व सर्वेमुहर कर कांस्टेविल ओमप्रकाश व रघुनंदन के सुपुर्द

किया गया। दिनांक 22-01-2013 समय 12.05 बजे मृतक जितेन्द्र आयु 7 वर्ष का पंचायतामा मौके पर नियुक्ति पंचान उपरान्त भरा गया व पंचान के हस्ताक्षर कराये गये व उसी दिन समय 13.20 बजे मृतक वीकेश आयु 6 वर्ष का पंचायतनामा मेरे द्वारा भरा गया जो क्रमशः कागज संख्या 10-क/1 व 10-क/2 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिन पर क्रमशः प्रदर्श क-7 व प्रदर्श क-8 डाले गये। पत्रावली पर मौजूदा कागज संख्या 11क/1 व 11क/2 व कागज संख्या 12क/1 नमूना सील व 12क/2 चालान लाश व रिपोर्ट सी0एम0ओ0 कागज संख्या 15-क/1 व 15-क/2 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिन पर क्रमशः प्रदर्श क-9 लगायत प्रदर्श क-16 डाले गये। उसी दिन लाशों की बरामदगी की जगज का हमराहियान व गवाहान की निशांदेही पर निरीक्षण घटनास्थल समय 14.30 बजे किया तथा नक्शानजरी बनाया गया जो पत्रावली पर कागज संख्या 6क/1 के रूप में शामिल है मेरे लेख व हस्ताक्षर में है इस पर प्रदर्श क-17 डाला गया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 302, 201 भा0दं0सं0 की बढोत्तरी की गयी जिसका तस्करा रपट नम्बर 18 समय 16.30 बजे किया गया। उसके बाद विवेचना एस0आर0 केस हो जाने के कारण विभागीय नियमानुसार थाना प्रभारियों द्वारा की गयी।

पी.डब्ल्यू.-6 कांस्टेविल 497 उरवीर सिंह ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि दिनांक 22-01-2013 को मैं थाना दातागंज पर तैनात था। उसी दिनांक को एस0आई0 श्री सुरेन्द्र सिंह व अन्य हमराहियान के साथ ग्राम कनकपुर मय अभियुक्त महीपाल के पहुँचे। अभियुक्त महीपाल की निशांदेही पर दो बच्चों की लाशें बरामद की थीं तथा गड्ढे के पास लड़ोरी से एक अदद रस्सी सन लम्बाई 3 हाथ 8 अँगुल तथा दूसरी रस्सी सन लम्बाई 3 हाथ 4 अँगुल बरामद कीं तथा मकान के पश्चिमी कमरे के तिखाल से एक अदद सिम एअरटेल जिस रंग एक तरफ लाल व एक तरफ सफेद था, बरामद किया। दोनों रस्सियों को अलग— अलग कपड़ों में रखकर तथा बरामद सिम को एक माचिस में रखकर व सिलकर सील सर्वेमुहर कर नमूना मोहर मेरे सामने मौके पर ही तैयार किया गया था। इस कार्यवाही की फर्द एस0 आई0

सुरेन्द्र सिंह द्वारा मौके पर ही मेरे सामने बनाई गयी थी और हमराहियान को पढ़कर सुनाकर दस्तखत कराये गये। पत्रावली पर फर्द प्रदर्श क-3 मौजूद है जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं बरामदा माल 3 किता सीलबंद पैकेट मेरे सामने न्यायालय में मौजूद हैं। न्यायालय के आदेश से तीनो सीलबंद पैकेट खोले गये। दोनो बड़े पैकेटों से कमशः एक-एक रस्सी लम्बाई लगभग डेढ़ मीटर बरामद हुई। प्रथम पैकेट के कपड़े पर वस्तु प्रदर्श-1 व रस्सी पर वस्तु-2 तथा दूसरे पैकेट के कपड़े पर वस्तु प्रदर्श-3 तथा रस्सी पर वस्तु प्रदर्श-4 अंकित किये गये। बरामदा माल का छोटा पैकेट खोलने पर उसके अन्दर से एक सिम एअरटेल बरामद हुआ जिसका एक तरफ रंग लाल व दूसरी तरफ रंग सफेद है। माचिस के कपड़े पर वस्तु प्रदर्श-5, माचिस की डिब्बी पर वस्तु प्रदर्श-6 तथा सिम पर वस्तु प्रदर्श-7 डाला गया।

पी.डब्ल्यू.-7 अशोकपाल हाल तैनाती काईम ब्रांच डी0आई0जी0रेंज, बरेली ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि मैंने थानाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद दिनांक 06-03-2013 को मु0अ0सं0 06 / 13, धारा 364, 302, 201,506 भा0दं0सं0 की विवेचना पूर्व विवेचक एस0एस0आई0 जसपाल सिंह से ग्रहण की थी और दिनांक 09-03-2013 को पूर्व विवेचक द्वारा किता सीडी0 का अवलोकन करते हुए थाना पर मौजूद आये गवाह पंचान जुगल किशोर, प्रेमपाल, पप्पू रामपाल व रिशीपाल के ब्यान अंकित किये तथा उसी दिन सी0डी0 का पर्चा तृतीय किता किया गया जिसमें ब्यान आरक्षी ओमप्रकाश व रघुनन्दन, जो मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम हेतु ले गये थे, के ब्यान अंकित किये। दिनांक 10-03-2013 को सी0डी0 का पर्चा 9 मेरे द्वारा किता किया गया जिसमें जिला अस्पताल बदायूं पर मौजूद डाक्टर ए0पी0 गौतम से मृतकों की मृत्यु का कारण पूछा गया व उनका ब्यान अंकित किया गया। पूर्व विवेचकों एवं मेरे द्वारा तमामी विवेचना से अभियुक्त महीपाल के विरुद्ध अपराध धारा 364, 302, 201, 506 भा0दं0सं0 का वखूबी सावित होने पर आरोप पत्र संख्या 24 / 13 मेरे द्वारा प्रेशित किया गया जो कागज संख्या 3क के रूप में पत्रावली में शामिल है मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है इस पर प्रदर्श क-18 डाला

गया।

पी.डब्ल्यू—8 कांस्टेविल कालीचरण सिंह सी०पी०— 88 ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि दिनांक 22—01—2013 को मैं थाना दातागंज पर तैनात था। मैं दातागंज पर इस मुकदमे की घटना से तैनात हूँ। हेडमोहर्रिंग इन्ड्रपाल सिंह मेरे साथ थाना दातागंज पर तैनात रहे हैं जिनको मैंने लिखते पढ़ते देखा है और इनके लेख व हस्ताक्षर को मैं पहचानता हूँ। हेड— मोहर्रिंग इन्ड्रपाल सिंह की चार—पॉच महीना पहले मृत्यु हो चुकी है। दिनांक 22—01—2013 की रपट जी०डी० नं०—15 समय 11.15 बजे जिसमें एस०आई० सुरेन्द्र सिंह मय संदिग्ध अभियुक्त महीपाल सिंह व मुताविक अपराध संख्या 6/13, धारा 364, 506 भा०दं०सं० की वापिसी वर्णित है, श्री इन्ड्रपाल सिंह की लिखी है जिसकी कार्वन प्रति कागज संख्या 8ग/14 पत्रावली पर है, जो मैं मूल जी०डी० से प्रमाणित करता हूँ। मूल जी०डी० मेरे सामने है। कार्वन प्रति मूल के साथ ही इन्ड्रपाल सिंह द्वारा लिखी गई है। जी०डी० पर रपट संख्या 15 की प्रति पर प्रदर्श क—19 डाला गया। इसी दिनांक को जी०डी० तरमीमी रपट संख्या 18 समय 16.30 बजे का०मो० इन्ड्रपाल सिंह के द्वारा किता की गई जिसमें अभियुक्त की निशांदेही पर दोनों शव बरामद होने व रस्सियाँ बरामद होने के आधार पर मुकदमा में धारा 302, 201 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी करके तरमीम किये जाने का उल्लेख है, जिसकी कार्वन प्रति पत्रावली पर कागज संख्या 8—क/15 है जो मूल के साथ एक ही प्रक्रिया में का० इन्ड्रपाल सिंह के द्वारा लिखी गयी है और उनके हस्तलेख में है जो मुताविक असल है। मूल जी०डी० जिसे साथ लाया हूँ से तुलना कर प्रमाणित करता हूँ। जी०डी० रपट संख्या—18 की कार्वनप्रति पर प्रदर्श क—20 डाला गया। रपट जी०डी० संख्या 16 समय 13.20 बजे दिनांकी 11—01—2013 बावत गुमशुदगी वदाखिला तहरीर दो लड़के वादी की तहरीर के आधार पर गुमशुदगी कायम किये जाने के सम्बंध में हेडमोहर्रिंग इन्ड्रपाल सिंह के द्वारा किता की गई है। इसकी छायाप्रति पत्रावली पर कागज संख्या 4—क/1 है। मूल जी०डी० उपरोक्त की मैं लेकर आया हूँ छायाप्रति मुताविक असल है। प्रमाणित करता हूँ। इस पर प्रदर्श क—21 डाला गया। रपट जी०डी० संख्या 17

समय 11.30 बजे दिनांकी 14-01-2013 बावत दाखिला प्रा० पत्र वादी व मुताविक अपहरण किये जाने उसके लड़के व भतीजे का व मिलने धमकी तथा तरमीम गुमशुदगी मु०अ०संख्या 6/13, धारा 364 व 506 भा०दं०सं० किता की गई है जो हेडमोहर्रि इन्द्रपाल सिंह के हस्तलेख में है, जिसकी छाया प्रति पत्रावली पर कागज संख्या 7-ग है। मूल जी०डी० साथ लेकर आया हूँ छायाप्रति हूबहू मुताविक असल है जो इन्द्रपाल सिंह के द्वारा लिखी गई है। इस पर प्रदर्श क-22 डाला गया।

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये दस्तावेज

तहरीर वादी दिनांकित 11-01-13 प्रदर्श क-1, पुनः तहरीर वादी दिनांकित 14-01-2013 प्रदर्श क-2, फर्द बरामदगी 2 अदद लाश अपहृत वीकेश व जितेन्द्र प्रदर्श क-3, शव विच्छेदन आख्या मृतक जितेन्द्र प्रदर्श क-4, शव विच्छेदन आख्या मृतक वीकेश प्रदर्श क-5, नक्शानजरी जहाँ से बच्चों को आखिरी बार देखा गया प्रदर्श क-6, पंचनामा मृतक जितेन्द्र प्रदर्श क-7, पंचनामा मृतक वीकेश प्रदर्श क-8, फोटो नाश मृतक वीकेश प्रदर्श क-9, फोटो नाश मृतक जितेन्द्र प्रदर्श क-10, नमूना मुहर मृतक वीकेश प्रदर्श क-11, नमूना मुहर मृतक जितेन्द्र प्रदर्श क-12, चालान लाश मृतक वीकेश प्रदर्श क-13, चालान लाश मृतक जितेन्द्र प्रदर्श क-14, चिट्ठी सी०ए०म०ओ० बावत मृतक वीकेश प्रदर्श क-15, चिट्ठी सी०ए०म०ओ० बावत मृतक जितेन्द्र प्रदर्श क-16, नक्शानजरी बरामदगी स्थल लाशें प्रदर्श क-17, आरोप पत्र प्रदर्श क-18, कार्वन प्रति जी०डी० दिनांकित 22-01-13 बाबत पूछताछ प्रदर्श क-19, जी०डी० दाखिला बरामद आलाक्त्तल प्रदर्श क-20 प्रदर्श क-21, छाया प्रति जी०डी० दाखिला प्रा० पत्र व तरमीम जी०डी० प्रदर्श क-22, हैं।

अभियोग से सम्बन्धित वस्तु प्रदर्श कमशः प्रथम पैकेट का कपड़ा वस्तु प्रदर्श-1, रस्सी वस्तुप्रदर्श -2, दूसरे पैकेट का कपड़ा वस्तु प्रदर्श-3 तथा रस्सी वस्तु प्रदर्श-4, माचिस का कपड़ा वस्तु प्रदर्श-5, माचिस की डिब्बी वस्तु प्रदर्श-6 तथा सिम एअरटेल का वस्तु प्रदर्श-7 है।

अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त का

बयान अन्तर्गत धारा 313 दंप्रसं अंकित किया गया जिसमें उसने अभियोजन कथानक को गलत बताया व साक्षीगण के द्वारा गलत गवाही दिये जाने का कथन किया गया। अभियुक्त के द्वारा यह भी कहा गया कि थाना पुलिस के द्वारा समस्त कागजी कार्यवाही थाने पर बैठ कर की गयी है और साक्षीगण ने झूँठी गवाही दी है। उसके विरुद्ध मुकदमा क्यों चला ? इस प्रश्न के उत्तर में अभियुक्त ने कहा है कि उसके विद्याराम की पत्नी शान्ति देवी के साथ नाजायज सम्बंध थे जिसकी जानकारी होने पर उसे रंजिशन इस मुकदमे में फँसाया गया है।

प्रतिरक्षा साक्ष्य के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में अभियुक्त ने अपने ताउ के लड़के रामदीन को प्रस्तुत करने की इच्छा व्यक्त की, किंतु साक्षी के उपरिथित आने पर उसे परीक्षित कराने से अभियुक्त के द्वारा इनकार करने के कारण उसका साक्ष्य अंकित नहीं किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

अभियोजन साक्ष्य का वर्णन करते हुए विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) ने कहा है कि अभियुक्त महीपाल के विरुद्ध वादी के लड़के विकेश व जितेन्द्र का अपहरण हत्या के प्रयोजन से करने तथा अपहरण के पश्चात दोनों बच्चों के गले में रस्सी से गला घोट कर उनकी हत्या करने तथा हत्या के साक्ष्य को विलोपन करने के आशय से उसके शब को अपने घर के अन्दर बैलों को चारा खिलाने वाली लड़ौरी के पास जमीन में गाड़ कर साक्ष्य विलोपित करने के आरोप संदेह से परे साबित होते हैं। अभियुक्त के विरुद्ध मोबाइल संख्या—7895848163 से वादी को जान से मारने की धमकी देकर भयोपारित करने का आरोप भी संदेह से परे साबित होता है और अभियुक्त आरोपों के लिए दोष सिद्ध किये जाने योग्य है।

प्रतिरक्षापक्ष की ओर से तर्क करते हुए विद्वान एमीकस क्यूरी ने कहा है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अपहरण एवं हत्या का नहीं है। घटना का हेतुक साबित नहीं है। मृतकों के परिवार से फिरैती मांगा जाना साबित नहीं होता है। हत्या के आरोप को अभियुक्त के विरुद्ध साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय आधार मामले में नहीं है।

प्रतिरक्षा का यह भी तर्क है कि लाशों की बरामदगी के सम्बन्ध में परीक्षित किये गये साक्षी पी0डब्ल्यू0-1 वादी व पी0डब्ल्यू-2 उसका भाई है तथा पी0डब्ल्यू-3 उसका भतीजा है कोई जन साक्षी नहीं है। लाशों की बरामदगी जिस स्थान से की गई है वह खुला स्थान है। लाशों कब किसके द्वारा डाली गयी इसका कोई साक्ष्य नहीं है। विवेचक ने विवेचना ठीक प्रकार से नहीं की है और मात्र सन्देह के आधार पर अभियुक्त को दोषारोपित किया गया है। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, उसे परिवार की रंजिश के चलते झूठा फँसाया गया है अतः उसे दोषमुक्त किया जाये।

पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार बच्चों की अपहरण की घटना दिनांक 9-01-13 दोपहर लगभग 11 बजे की है। तहरीर गुमशुदगी वादी के अनुसार वादी विधाराम एवं ब्रजेश दोनों के पुत्र आयू कमशः 6 वर्ष व एक 7 वर्ष हैं जो दोपहर में गांव में 11 बजे खेल रहे थे। इस के बाद बच्चों का पता नहीं है। दिनांक 14-1-13 को वादीगण द्वारा एक अन्य तहरीर अपने बच्चों के अपहरण के सम्बन्ध में थाने में दी गयी जिस में कहा गया कि उसे दिनांक 11-1-13 को धमकी दी गयी है कि उस से आकर मिलो वरना बच्चों को जान से मार डालूँगा। धमकी देने वाले ने पता नहीं बताया। इस आशंका पर गुमशुदगी को अपहरण के अभियोग में तरमीम करके विवेचना आरम्भ की गयी। दिनांक 22-1-13 को वादी के द्वारा अपने चचेरे भाई अभियुक्त मही पाल पर शक जाहिर करने तथा यह बताने की घटना वाले दिन दोनों बच्चे उसके यहाँ खाना देने गये थे। शक के आधार पर अभियुक्त को थाने लाकर पूछताछ किये जाने पर उसने संस्वीकृती करते हुए बताया कि उसने दोनों बच्चों को अपने घर में, जब वे उसके लिए खाना लेकर आये थे, करीब 11 बजे जमीन के लालच में जितेन्द्र व विकेश दोनों बच्चों की रस्सी से गला बाँधकर हत्या कर दी है और दोनों बच्चों की लाशें अपने घर में बैलों को चारा खिलाने वादी लड़ौरी के पास जमीन में गडडा खोदकर गाढ़ दी तथा रस्सी पास ही लड़ौरी में डाल दी है तथा कहा है कि मैं चलकर आपको लाश और रस्सियां बरामद करा दूँगा इस

पर अभियुक्त को साथ लाकर उसकी निशादेही पर गड़ा खोदकर फावडे से खोदा गया तो करीब 3 फिट गड़ा खोदकर गड़े के अन्दर से मृतक विकेश व जितेन्द्र की लाशें बरामद हुईं तथा गड़ा के पास लडामनी से एक अदद रस्सी लम्बाई 3 हाथ 3 अंगुल तथा दूसरी रस्सी लम्बाई 3 हाथ 4 अंगुल बरामद हुईं तथा अभियुक्त की निशादेही पर तिखाल से कमरे के अन्दर से एक अदद सिम एअरटेल कम्पनी का एक तरफ सफेद व एक तरफ लाल नम्बर—7895848163 बरामद हुआ। बरामदा रस्सियां व सिम को मौके पर सर्वे मोहर करके सील करके फर्द बरामदगी तैयार की गयी तथा दोनों मृतकों के शव को पंचायत नामे की कार्यवाही करके आवश्यक प्रपत्रों के साथ पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया तथा अभियोग में धारा 302,201 भारतीय दण्ड संहिता की बढ़ौतरी करके अभियुक्त को विधि अनुसार अभिरक्षा में लिया गया।

मौके पर संचालित पंचनामा की कार्यवाही में मृतक जितेन्द्र का पंचायतनामा दिनांक 22—1—13 को 12.05 बजे आरम्भ होकर 13.15 बजे तक सम्पन्न हुआ है तथा मृतक विकेश पुत्र विद्याराम का पंचनामा 13.20 बजे आरम्भ होकर 14.30 तक सम्पन्न हुआ है। मृतक जितेन्द्र का पंचायत नामा प्रदर्श—क 7 है जिसमें मृतक जितेन्द्र की लाश अभियुक्त महीपाल के बरामदा में फावडे से लड़ौरी के पास जमीन को खोदकर निकालकर रखा गया है। मृतक के शरीर पर हाफ नेकर नीला, पीली शर्ट, लाल जर्सी गली अवस्था में पाये गये। रायपंचान के अनुसार मृतक की मृत्यु गला दबने से होना प्रतीत होती थी। मृतक विकेश की लाश पर नीले रंग की जीन्स पैन्ट, गोल गले की बनियान, नीले रंग की जर्सी पहने हुए था जिसकी मृत्यु गला दबाने से होना रायपंचों के अनुसार प्रतीत होती है।

मृतकों के शव का विच्छेदन करने वाले चिकित्सक ने अपने मौखिक साक्ष्य में मृतक जितेन्द्र के शव की विच्छेदन आख्या प्रदर्श क—4 व मृतक विकेश की शव विच्छेदन आख्या प्रदर्श क—5 को साबित किया है।

अपने मौखिक साक्ष्य में चिकित्सक ने बताया है कि उन्होंने दिनांक 23—01—13 को मृतक जितेन्द्र, आयु लगभग 7 वर्ष पुत्र ब्रजेश

का शव विच्छेदन किया था जो कि एक पुरुष बच्चा था, मुँह में मिट्टी भरी हुई थी, खाल जगह जगह से उधड़ रही थी, पेट फूला हुआ था। शव के उपर शरीर पर मिट्टी मौजूद थी। विच्छेदन करने पर श्वास की नली अन्दर से बुरी तरह कन्जस्टेड ; बदहमेजमक ढ्क थी, हाइडबोन ब्लवक इवदम ढ्क दूटी हुई पायी गयी, मस्तिष्क तरल हो चुका था। मृतक की मृत्यु गला दबने से दम घुटने के कारण हुई थी। चिकित्सक ने मृत विकेश पुत्र विद्याराम का भी शव विच्छेदन उक्त दिनांक को करना कहा है, जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष थी। मृत्यु का समय लगभग 2 सप्ताह पूर्व का था। इसकी श्वास नली पूरी तरह कन्जस्टेड; बदहमेजमक ढ्क थी, हाइडबोन ब्लवक इवदम ढ्कदूटी हुई थी, मस्तिष्क तरल हो चुका था। आमाशय खाली था। पूरे शरीर पर मिट्टी मौजूद थी। चिकित्सक की राय में विकेश की मृत्यु का कारण भी गला उटने से दम घुटने के कारण हुई थी। प्रति परीक्षा में चिकित्सक ने कहा है कि पोस्टमार्टम के समय दोनों मृतकों के गले की त्वचा गली हुई थी तथा गली हुई होनें के कारण कपड़े या रस्सी के निशान गले पर मालूम नहीं हो रहे थे। मृत्यु दिनांक 09–01–2013 से एक दिन पहले या एक दिन बाद भी सम्भव थी। चिकित्सक की मौखिक साक्ष्य से एवं शव विच्छेदन आख्या प्रदर्श क-4 व 5 के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि मृतक विकेश पुत्र विद्या राम व जितेन्द्र पुत्र ब्रजेश की मृत्यु शव विच्छेदन से दो सप्ताह पहले गला दबाये जाने से दम घुटने के कारण हुई थी और हत्या के उपरान्त उनके शव मिट्टी में दबाये गये थे, जिसके कारण शव विच्छेदन के समय वे गलने की अवस्था में प्राप्त हुए थे।

मृतकों के शव की बरामदगी व पंचायतनामा करने वाले उप निरिक्षक ने अपने मौखिक साक्ष्य में बताया है कि अभियुक्त महीपाल ने दिनांक 20.01.2013 को जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि उसने दोनों बच्चों को दिनांक 09.01.2013 को जब वे उसके लिए खाना लेकर आये थे, जमीन के लालच में दोनों की रस्सी से गला बॉधकर हत्या कर दी है और दोनों बच्चों की लाशों को अपने घर के बैलों को चारा खिलाने वाली लडौरी के पास गाड़ दिया है और रस्सी पास ही लडौरी

में डाल दी है और कहा है कि चलकर आपको लाशें व रस्सी बरामद करा सकता हूँ। इस बात पर विश्वास करके मय फोर्स के गॉव कनकपुर पहुँचे और महीपाल की निशांदेही पर बच्चों की लाश व रस्सी बरामद की। इस साक्षी ने मौके पर फर्द प्रदर्श क-3 को तैयार किया जाना कहा है तथा पंचायतनामा प्रदर्श क-7 व 8 को सावित किया है। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने बताया है कि जब मुल्जिम को लेकर उसके घर पहुँचे थे तो उसका घर खाली पड़ा था। साक्षी ने नक्शानजरी प्रदर्श क-17 को भी सावित किया है तथा कहा है कि लड़ामनी के पश्चिम व उत्तर में दीवार है, पूरब में खुला स्थान है तथा उसमें किवाड़े व चौखटें नहीं हैं।

फर्द प्रदर्श क-3, जो कि उपनिरीक्षक सुरेन्द्र सिंह द्वारा मौके पर तैयार किया जाना कहा गया है, में विवेचक ने अंकित किया है कि मुल्जिम ने बताया कि, 'मैं चलकर आपको लाशें व रस्सियों को बरामद करा दूँगा' महीपाल की इस बात पर विश्वास करके अभियुक्त को लेकर गॉव पहुँचा तथा गवाहान विद्याराम पुत्र रिषीपाल, शेर सिंह पुत्र रामचन्द्र निवासीगण कनकपुर, थाना दातागंज को मकसद बरामदगी अपहृत लाश व रस्सियों बताकर अभियुक्त के बताये स्थान मकान खुद घर आये तथा आगे—आगे चला। मैं एस०आई० सुरेन्द्र सिंह, एस०आई० श्री सत्यपाल, एस०आई० श्री अनेक सिंह, कांस्टेविल ओम प्रकाश, कांस्टेविल रघुनन्दन सिंह, कांस्टेविल उरवीर सिंह पीछे चले तथा अभियुक्त ने आगे—आगे चलकर अपने कमरे के पश्चिम में बनी लड़ौरी के पास पैर से बताया कि यह मिट्टी जो दबी हुई है यहाँ पर मैंने दोनों बच्चे विकेस व जितेन्द्र की रस्सियों से टांगकर हत्या कर गड़ा खोद कर दबा दिया है। अभियुक्त द्वारा बताये स्थान को फावड़ा से खोदा गया तो करीब 3 फिट खोदने पर गड़े के अन्दर से मृतक विकेश व जितेन्द्र की लाशें बरामद हुई तथा गड़े के पास लड़ौरी से एक अदद रस्सी सन लम्बाई 3 हाथ 8 अंगुल व दूसरी रस्सी सन 3 हाथ 4 अंगुल बरामद हुई तथा अभियुक्त महीपाल की निशांदेही पर मकान के पश्चिमी कमरे के तिखाल से एक अदद सिम एयरटेल कम्पनी का बरामद हुआ, जिसका नम्बर 7895848163 है। फर्द मौके पर तैयार

किये जाने का उल्लेख फर्द में किया गया है तथा अन्त में साक्षी ने पुलिसबल हमराहियान तथा विद्या राम व शेर सिंह के तथा अभियुक्त महीपाल के हस्ताक्षर इस पर मौजूद हैं। साक्षी पी0डब्ल्यू-5 ने बरामदगी स्थल का नक्शानजरी प्रदर्श क-17 को भी सावित किया है। इसमें 'ए' चिन्ह से वह स्थान दर्शाया गया है जहाँ से गड़ढा खोद कर मृतक बच्चों की लाशें निकाली गयीं तथा 'बी' चिन्ह से वह स्थान दर्शाया गया है जहाँ कि लड़ामनी के अंदर रस्सियां बरामद की गयी हैं तथा 'सी' चिन्ह से वह स्थान दर्शाया गया है कि जहाँ मकान के दक्षिण-पश्चिम कोने में स्थित कमरे से सिम बरामद होना कहा गया है।

साक्षीगण पी0डब्ल्यू-1, पी0डब्ल्यू-2 व पी0डब्ल्यू-3 ने अपने सामने अभियुक्त की निशांदेही पर उसके घर में जानवर बॉधने की लड़ामनी के पास गड़ढा खोद कर मिट्टी में दबे दोनों बच्चों की लाशें बरामद होना कहा है। साक्षी पी0डब्ल्यू-1 ने कहा है कि पुलिस वालों ने हम गॉव वालों की मौजूदगी में महीपाल की निशांदेही पर गड़ढा खोद कर दोनों बच्चों की लाश व रस्सी को निकाला था तथा सारी लिखापढ़ी हमारे सामने की गयी थी।

पी0डब्ल्यू-3 शेरसिंह ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि बच्चों के लापता होने के 13 दिनों बाद अभियुक्त महीपाल को पुलिस पकड़ कर लायी थी तथा दरोगा जी मुझे व अभियुक्त महीपाल को व विद्याराम को भी साथ में लेकर घटनास्थल पर गये, जहाँ महीपाल के घर के अन्दर से अभियुक्त महीपाल ने आगे-आगे चलकर अपने घर के पश्चिम में बनी लड़ौरी के पास पैर रखकर बताया कि यह मिट्टी जो दबी हुई है यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों विकेश व जितेन्द्र की रस्सियों से टांगकर हत्या करके गड़ढा खोदकर दबा दिया है।

मेरे व विद्याराम व ब्रजेश के सामने अभियुक्त द्वारा बताये गये स्थान को फावड़े से खोदा गया तो करीब 3 फिट खोदने पर गड़ढे के अन्दर से मृतक विकेश व जितेन्द्र की लाशें बरामद हुईं। अभियुक्त के पास लड़ौरी से एक रस्सी सन लम्बाई 3 हाथ 8 अँगुल व दूसरी रस्सी सन लम्बाई 3 हाथ 4 अँगुल बरामद हुईं तथा अभियुक्त महीपाल की निशांदेही पर मकान के पश्चिमी कमरे के तिखाल (माचिस, मोमबत्ती

आदि रखने का दीवाल में बना स्थान) से एक अदद सिम ऐयरटेल कम्पनी का बरामद हुआ।

उपरोक्त विवेचन से यह तथ्य सावित हो चुका है कि मृतक विकेश पुत्र विद्याराम उम्र 6 वर्ष व जितेन्द्र पुत्र ब्रजेश उम्र 7 वर्ष, जो कि दिनांक 09–01–2013 को घर के बाहर खेल रहे थे, अभियुक्त महीपाल के घर कथित रूप से उसका खाना देने गये थे तथा उसके बाद उन्हें किसी के द्वारा नहीं देखा गया और वे गायब हो गये। दिनांक 22–01–2013 को दोनों बच्चों की लाशें अभियुक्त महीपाल के मकान के अन्दर जानवरों के चारा खिलाने वाली लड़ामनी के पास जमीन में दबी हुई अभियुक्त महीपाल की निशांदेही पर बरामद हुई तथा पंचायतनामा क्रमशः प्रदर्श क–7 व प्रदर्श क–8 तथा शव विच्छेदन आख्या क्रमशः प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–5 तथा चिकित्सक पी0डल्यू–5 के मौखिक साक्ष्य से यह तथ्य सावित होता है कि दोनों बच्चों की मृत्यु गला दबाये जाने से दम घुटने के कारण बरामदगी से लगभग 2 सप्ताह पहले हुई थी। इनके शव हत्या करने के उपरान्त साक्ष्य विलोपन की दृश्टि से मिट्टी में दबा दिये गये और वे गलने की प्रक्रिया में आ चुके थे अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि दोनों लाशें गुमशुदा बच्चों की थीं, जिन्हें निर्दयता के साथ गला दबाकर मारा गया था।

प्रतिरक्षा की ओर से तर्क करते हुए कहा गया है कि दोनों बच्चों की हत्या का कोई हेतुक अभियोजन की ओर से सावित नहीं किया गया है तथा बच्चों को धर में जाते देखने अथवा अभियुक्त के द्वारा इन्हें मारने की कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं है।

प्रतिरक्षा का यह तर्क है कि धटना का हेतुक सावित नहीं है। प्रस्तुत मामले में हेतुक, जैसा कि मामले के कथानक से स्पष्ट है, कोई प्रत्यक्ष रंजिश, मुकदमेबाजी आदि नहीं है बल्कि हेतुक अन्तर्मन में पनप रही लोलुपता की विचारधारा का एक ऐसा विशैला सर्प है जो कि मन के किसी कोने में कुण्डीली मारे दबा बैठा रहता है तथा ज्योंही परिस्थितिवश एकान्त में उसकी कलुशित भावना का केन्द्रबिन्दु बना लक्ष्य उसके सामने आता है, एकदम से फन उठाकर उस पर प्रहार करके डंस लेता है और अपने मंतव्य की पूर्ति करता है। ऐसे हेतुक के सम्बंध में

सामान्यतया किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं होती। घटना घटित होने के उपरान्त जब परिणाम सामने आता है तभी व्यक्ति यह सोच पाता है कि उसे किसी विश्वासी ने डस लिया है, जैसा कि प्रस्तुत मामले में हुआ है। जिस समय बच्चे दिनांक 09–01–2013 को अचानक गायब हो जाते हैं, उनके माता पिता इधर उधर खोजने के उपरान्त उनके न मिलने पर थाने पर गुमशुदगी की तहरीर दाखिल करते हैं। जब मोवाइल संख्या 7895848163 से दिनांक 11–01–2013 को वादी को धमकी प्राप्त होती है और धमकी देने वाला अपना पता नहीं बताता है तो वह उसकी सूचना थाने पर देता है और उसे यह आभास होता है कि बच्चों का शायद किसी ने अपहरण कर लिया है। कालान्तर में एक–दो दिन बीतने के उपरान्त परिवार के ही सगे चचेरे भाई अभियुक्त पर उसे शक होता है और वह इसकी सूचना थाना पुलिस को देता है, जिसके द्वारा अभियुक्त को सन्देह के आधार पर थाने पर बुलाकर पूछताछ की जाती है।

इस पूछताछ से पहले दिनांक 22–01–2013 से पूर्व न तो वादी को और न ही विवेचना करने वाले पुलिसकर्मियों को इस तथ्य का आभास होता है कि बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त के द्वारा पूछताछ के दौरान की गयी संस्वीकृति से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभियुक्त ने दोनों बच्चों को दिनांक 09–01–2013 को ही अपने मकान के अन्दर जब वे उसे खाना देने गये थे, रस्सी से लटका कर गला घोट कर मार दिया है और लाशों को जानवरों के चारा खिलाने वाली लड़ामनी के पास गड्ढा खोद कर डाल दिया है तथा वह लाशों को व रस्सी को चलकर बरामद करा सकता है।

विवेचना के इस प्रक्रम पर वादी को यह ज्ञान होता है कि अभियुक्त परिवार के एक वुजुर्ग द्वारा अपने हिस्से की जमीन शान्तिदेवी के नाम कर दिये जाने से रंजिश मानता था और उसके मस्तिशक में यह लालच भर आया था कि यदि ये दोनों बच्चे समाप्त हो जायें तो जमीन उसे मिल जायेगी। जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 का प्रावधान है कि पुलिस अभिरक्षा में की गयी संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है अतः विवेचक द्वारा अभियुक्त की संस्वीकृति के सम्बंध

में किये गये कथन उसके विरुद्ध एवं दायित्व अधिरोपित नहीं करती किंतु वादी के मौखिक साक्ष्य कि, 'अभियुक्त जमीन के कारण रंजिश मानता था' और घटना के मूल में जमीन का लालच हेतुक के रूप में प्रकट होता है। अतः प्रतिरक्षा के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि घटना का कोई हेतुक अभियोजन के साक्ष्य से सावित नहीं किया गया है।

जैसा कि प्रतिरक्षा का तर्क है कि मामले के साक्षीगण मृतक एवं वादी परिवार के लोग हैं और वे हितबद्ध हैं। यह उल्लेखनीय है कि वादी बच्चों के गायब होने के तथ्य की सूचना देता है। उसके द्वारा बच्चों की गुमशुदगी दर्ज करायी गयी है तथा मोवाइल फोन से धमकी मिलने पर उसने अपहरण की आशंका व्यक्त करते हुए द्वितीय तहरीर दी है जिसके आधार पर अभियोग धारा 364 भा०दं०सं० का दर्ज किया गया है तदोपरान्त वादी के द्वारा शक के आधार पर पुलिस को अभियुक्त के सम्बंध में बताया गया जिसके आधार पर पुलिस के द्वारा पूछताछ किये जाने पर अभियुक्त ने लाशों की जानकारी के सम्बंध में उद्घाटन करते हुए उन्हें बरामद कराये जाने का कथन किया है। साक्षी पी०डल्यू-३ वह व्यक्ति है जिसके समक्ष गड्ढा खोदकर पुलिसबल की उपस्थिति में लाशें निकलवायी गयी हैं, रस्सियाँ बरामद की गयी हैं तथा मोवाइल सिम बरामद किया गया है।

ऐसी परिस्थिति में जबकि मात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और अभियोजन कथानक बरामदगी पर आधारित है किंतु वह इस प्रकार सुदृढ़ आधारशिला का निर्माण करता है जिसकी पुश्टि चिकित्सीय साक्ष्य से पूर्णतया होती है। मात्र इस आधार पर कि साक्षी वादी का भाई अथवा भतीजा है उसके कथन को तिरस्कृत नहीं किया जा सकता। मात्र इस कारण से किसी साक्षी को हितबद्ध नहीं मान लिया जाना चाहिए कि वह पीड़ित का निकट सम्बंधी अथवा रिश्तेदार है तथा मात्र निकट सम्बंधी होने के कारण किसी व्यक्ति का साक्ष्य अपठनीय नहीं हो जाता, यदि वह अन्यथा सुसंगत हो वह भी एक ऐसे मामले में जहाँ कि वादी व अभियुक्त सगे चचेरे भाई है तथा साक्षीगण अभियुक्त के भी निकट सम्बंधी हैं।

साक्षी पी०डल्यू-१ व पी०डल्यू-२ ने अपने मौखिक साक्ष्य

में कथन किया है कि अभियुक्त जमीन के कारण उनसे रंजिश मानता था । बच्चों की हत्या करके दो बच्चों को एकसाथ तीन फिट जमीन के अन्दर गड़दा खोदकर दबाया जाना उनके साथ किये गये कृत्य की बर्बरता का परिचायक है ।

अभियुक्त की बच्चों को गला दबाकर हत्या करने के सम्बन्ध में संस्वीकृति उसके द्वारा पुलिस के पूछताछ के दौरान अभिरक्षा में किये जाने के कारण धारा 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों में किये गये निशेध के कारण उसके विरुद्ध साक्ष्य में ग्राहय नहीं है और न ही इसे साबित करने की अनुमति विधि प्रदान करती है । किन्तु अभियुक्त के द्वारा किया गया कथन कि, 'वह बच्चों की लाशें व रस्सी चलकर बरामद करा सकता है।' ऐसा कथन है जो कि पुलिस अभिरक्षा में होते हुए भी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत सुसंगत है और साक्ष्य में ग्राहय है ।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में प्रावधान है कि—

"जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस आफीसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चला है, तथा ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति की श्रेणी में आती हो या नहीं, जितनी एतद्वारा पता चले हुए तथ्य से सम्बन्धित है, साबित की जा सकेगी।"

अभियुक्त के द्वारा उदघाटित किये गये तथ्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस द्वारा अभियुक्त को लेकर मौके पर जाना, अभियुक्त के मकान के अन्दर जाना, अभियुक्त के द्वारा पैर से खुदी हुई मिटटी वाले स्थान को बताना और उस स्थान पर फावड़े से खोदने पर तीन फिट गहरे गड्ढे में दोनों बच्चों की अधगली लाशें बरामद होना ऐसे तथ्य हैं जो कि सुसंगत है और धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत साक्ष्य में ग्राहय हैं क्योंकि लाशों के दबे होने का स्थान व लाशों की बरामदगी अभियुक्त की निशांदेही पर उसके द्वारा बताये गये स्थान से हुई है । अतः इन तथ्यों के सम्बन्ध में

अभियुक्त द्वारा किये गये प्रकटन को कि 'वह बच्चों की लाशें व रस्सी चलकर बरामद करा सकता है।' सुसंगत साक्ष्य से साबित करने का प्रावधान धारा 27 में है।

साक्षी पी0डब्ल्यू0-1,2 व 3 ने जो कि बरामदगी के साक्षी हैं, अपने मौखिक साक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 22-01-2013 को वह अभियुक्त महीपाल को लेकर गांव में आये थे। अभियुक्त ने आगे आगे चलकर पैर से दबे गडडे वाले स्थान पर अपने मकान के अन्दर जानवरों के चारा खाने वाली लडामनी के पास इंगित करके बताया कि दोनों लाशें उस स्थान पर दबी हैं। उस स्थान पर गडडा खोदने पर दोनों बच्चों की लाशें बरामद हुई तथा लडामनी में पड़ी दो रस्सियां सन की तीन हाथ आठ अंगुल व तीन हाथ चार अंगुल की बरामद हुई हैं।

वस्तुतः ये ऐसे तथ्य हैं जो कि अभियुक्त के संज्ञान में हैं और उसके उद्घाटन किये बिना इन तथ्यों की जानकारी न तो पुलिस को और न ही वादी को हो सकती थी। प्रथम बार थाना पुलिस के संज्ञान में यह तथ्य अभियुक्त के द्वारा ही लाया गया कि लाशें अमुक स्थान पर पड़ी हैं, जहाँ से बरामद की गयीं।

प्रतिरक्षा का यह भी तर्क है कि जिस स्थान पर मकान के अन्दर वह लाशें बरामद हुई हैं उस स्थान पर दरवाजे में किवाड़, चौखट नहीं हैं अतः लाशें किसके द्वारा, कब डाली गयीं, उसकी कोई साक्ष्य नहीं है।

प्रतिरक्षा के द्वारा इस तथ्य से इनकार नहीं किया गया है कि लाशें अभियुक्त के मकान के अन्दर से जमीन में दबी हुई अवस्था में बरामद न हुई हों, अभियुक्त ने भी अपने कथन धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि लाशें उसके मकान के अन्दर से बरामद नहीं हुई बल्कि उसने पृष्ठ संख्या-8 में उससे पूछे जाने पर कि, 'गांव वालों की मौजूदगी में उसकी निशांदेही पर दोनों बच्चों की लाशें व रस्सी को निकाला गया', गलत होना बताया है। अभियुक्त ने प्रश्न 13 के उत्तर में, जिसमें उससे नक्शानजरी बरामदगी स्थल, पंचायतनामा, फोटो नाश के सम्बन्ध में पूछा गया है, कहा है कि समस्त कागजी कार्यवाही थाने पर बैठकर फर्जी की गयी है, किन्तु

अभियुक्त ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि लाशों की बरामदगी उसके परिसर के अन्दर से न हुई हो।

अभियुक्त उस परिसर का स्वामी है जिसके अन्दर से उसकी निशानदेही पर दोनों बच्चों की लाशें बरामद हुई हैं तथा वह नियमित रूप से उसमें निवास करता है।

धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान है कि—

“जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के संज्ञान में है, तब उस तथ्य का सावित करने का भार उस पर है।”

धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार ऐसी परिस्थितियों जो कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के ज्ञान में है, को सावित करने का भार उस व्यक्ति पर है जिसके संज्ञान में वह है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, ‘त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराश्ट्र राज्य (1) 2007 एस0सी0सी0 (2) पृष्ठ 80’ पर यह कहा है कि यदि अपराध घर के एकान्त में तथा ऐसी परिस्थितियों में किया गया जहाँ कि आकान्ता को अपनी इच्छानुसार समय व परिस्थितियों का चयन करके अपराध करने की योजना बनाने का अवसर प्राप्त था तो अभियोजन के लिए ऐसे मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करना अत्यन्त कठिन होता है।

वस्तुतः ऐसे मामलों में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य न होने के कारण एकान्त में किये गये अपराध का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाता और यदि अपराध कारित करने के उपरान्त साक्ष्य विलुप्त कर दिया जाये तो यह जानना दुश्कर होता है कि अपराध कब और किस प्रकार से कारित किया गया और ऐसे मामलों में परिस्थितिजन्य साक्ष्य का एक-एक सूक्ष्म से सूक्ष्म तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि में यह भी कहा गया है कि ऐसे मामलों में यह देखा जाना चाहिए कि तथ्यों का दायित्व परिसर के अन्दर निवास करने वाले व्यक्तियों का भी है कि वे इस कारण से मौन रहकर के दायित्व से बच नहीं सकते कि मामले को सावित करने का भार पूर्णतयः अभियोजन पर है।

अभियुक्त के उपर दायित्व अधिरोपित है कि वह यह स्पष्ट

करे कि उसके मकान के अन्दर दोनों बच्चों की लाशें जो कि जानवरों के चारा खाने वाली लड़ामनी के पास दबायी गयी बरामद हुई हैं वह किन परिस्थितयों में और कैसे वहाँ दबाई गयी ?

अभियोजन पक्ष ने अपने साक्षीगण के मौखिक कथन व दस्तावेजी साक्ष्य नक्शानजरी, फर्द बरामदगी, पंचायतनामा से इस बरामदगी को अभियुक्त की निशानदेही पर होना साबित किया है, जबकि अभियुक्त धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा है तथा उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है कि लाशें उसके परिसर में कब, कैसे, किन परिस्थितयों में दबायी गयीं, जहाँ से वह उसकी निशानदेही पर गड़डा खोदकर बरामद की गयीं। इस मौन के कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (ज) के अन्तर्गत उसके प्रतिकूल उपधारणा की जावेगी।

वस्तुतः यह तथ्य बच्चों के लापता होने के उपरान्त किसी अन्य व्यक्ति के संज्ञान में नहीं रहा कि बच्चों का क्या हुआ? वे किस हाल में हैं, जीवित हैं अथवा मृत हैं, जीवित हैं तो कहाँ हैं तथा यदि उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनकी लाशें कहाँ हैं? अतः किसी अन्य व्यक्ति से इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। चूंकि अभियुक्त ही एक मात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके संज्ञान में यह तथ्य थे इसके द्वारा दी गयी जानकारी तथा उसका यह कथन कि वह लाशें चलकर बरामद करा सकता है, सुसंगत साक्ष्य है एवं उसके आधार पर ही लाशों की बरामदगी एवं मामले की अग्रिम कार्यवाही हुई है अतः किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लाशें डालते हुए देखेजाने का कोई प्रश्न ही नहीं है तथा प्रतिरक्षा के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि लाशें डालते हुए देखे जाने का कोई साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध नहीं हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, 'हरदयाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए0आई0आर0 1976 एस0सी0 पृष्ठ 2057' में कहा है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कठियाँ इस प्रकार से सुमोलित एवं एकदूसरे से सुदृढ़ रूप से जुड़ी तथा एक ऐसी श्रंखला का निर्माण करने वाली होनी चाहिए जो कि अभियुक्त की अनन्यता को सावित करने वाली हो।

प्रस्तुत मामले में वादी के कथनानुसार बच्चे दिनांक

09–01–2013 को लगभग 11.00 बजे गायब हुए। यह एक सुसंगत तथ्य है कि शव विच्छेदन आख्या प्रदर्श क-4 व 5 में बच्चों की मृत्यु का समय लगभग 2 सप्ताह का होना कहा गया है अर्थात् बच्चों की मृत्यु दिनांक 09–01–2013 को लापता होने के पश्चात् कारित की गयी।

शव विच्छेदन आख्या में बच्चों की मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व गला दबाये जाने से दम घुटने के कारण हुई थी। उनकी श्वांस नली बुरी तरह से संकुचित थी, दोनों फेफड़े अवरुद्ध थे तथा दोनों बच्चों की हायडबोन टूटी हुई थी। अभियुक्त की निशांदेही पर बच्चों की लाश के साथ रस्सी का बरामद होना एक सुसंगत तथ्य है, जो यह इंगित करता है कि बच्चों की मृत्यु रस्सी से गला कसे जाने के कारण दम उटने से हुई।

इसी मध्य हेतुक की कड़ी उपस्थित होती है जैसा कि साक्ष्य में पी0डब्ल्यू-1 व पी0डब्ल्यू-2 ने कथन किया है कि अभियुक्त उनसे दिली रंजिश मानता था। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसके दादा 3 भाई थे, जिसमें जोरावर, हुलासी और नत्थू। जोरावर की शादी नहीं हुई थी, हुलासी के 3 लड़के रामपाल, लालमन व रिशीपाल थे। रिशीपाल के 5 बेटे थे, जिनमें रामरहीस खत्म हो गया। हाजिर अदालत मुल्जिम महीपाल लालमन का लड़का है जो रिश्ते में मेरा सगा चचेरा भाई है। साक्षी ने आगे कहा है कि जोरावर ने अपने हिस्से की 4 बीघा जमीन व अन्य सारी सम्पत्ति मेरी माँ सुशीला के नाम इस घटना से 10 वर्ष पूर्व कर दी थी। पी0डब्ल्यू-2 व्रजेश ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि मुल्जिम का मकान उसके मकान से 2–4 कदम दूर है, यह हमारे परिवार का ही है। हमारी उससे कोई रंजिश नहीं चल रही थी। मुल्जिम मेरा चचेरा भाई लगता है। इस प्रकार साक्षी पी0डब्ल्यू-1 के मौखिक साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट है कि अभियुक्त अपने परिवार के एक दादा जोरावर के द्वारा अपनी सम्पत्ति वादी के नाम कर दिये जाने के कारण वादी से रंजिश मानता था तथा परिवार के एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति के द्वारा 4 बीघा जमीन व अपनी अन्य सम्पत्ति वंशावली की अन्य श्रंखलाओं को तिरस्कृत करते हुए किसी एक वंशज के नाम कर दिये जाने से अन्य वंशजों के मन मे दुर्भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है वहीं दूसरी ओर

इस दुर्भावना का आभास यदि वादी को पूर्व में रहा होता तो सम्भवतः, जैसा कि साक्ष्य मे आया है कि बच्चे अक्सर अभियुक्त को खाना देने जाते थे, वह उसके लिए खाना भेजने का उपक्रम न करता।

घटनाक्रम की सबसे मजबूत कड़ी अभियुक्त की निशांदेही पर मृतकों की लाश एवं रस्सी बरामदगी की है जिसके उपरांत सम्पूर्ण घटनाक्रम शीशे की तरह पारदर्शी हो जाता है और अभियुक्त के मकान के अन्दर से जमीन में दबे हुए 2 बच्चों की लाशें बरामद होना व उनकी मृत्यु गला दबाये जाने से दम घुटने के कारण होना शव विच्छेदन आख्या में दर्शित होने से सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ कर एकसाथ जुड़ कर एक ऐसे गोल घेरे का निर्माण करती हैं कि प्रत्येक कड़ी चिल्ला-चिल्ला कर यह कहने लगती है कि दोनों अवोध बच्चों की हत्या करने वाला घृणित कार्य करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यह अभियुक्त महीपाल ही है जिसने लाशों की बरामदगी अपने घर के अन्दर से जानवरों को चारा खिलाने वाली लड़ामनी के पास दबी हुई मिट्टी को पैर से इंगित कर के यह बताया है कि दोनों बच्चों की लाशें यहाँ हैं और उसी स्थान को फावड़े से 3 फिट खोदने पर दोनों बच्चों की लाशें बरामद हुई हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य का यह एक ऐसा विलक्षण मामला है कि अभियुक्त को दोषिता के दायित्व के अधीन लाने के लिए अभियुक्त की निशांदेही पर यह बरामदगी ही सबसे महत्वपूर्ण है एवं दृढ़ साक्ष्य है। बच्चों के गुमशुदा होने का समय सुमेलित है, यद्यपि चिकित्सक ने अपने मौखिक साक्ष्य में प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि मृत्यु का समय एक दिन आगे-पीछे भी हो सकता है किंतु यह एक रायमात्र है जो कि प्रतिरक्षा के द्वारा सुझाव दिये जाने पर अभिव्यक्त की गयी है, आधारभूत रूप से शव विच्छेदन आख्या प्रदर्श क-4 व 5 में वर्णित मृत्यु का समय 2 सप्ताह पूर्व का अंकित किया जाना इस स्वीकारोक्ति से प्रभावित नहीं होता। जहाँ तक अभियुक्त की अनन्यता का प्रश्न है, अभियुक्त के मकान के अन्दर 2 बच्चों की हत्या करके रस्सी लड़ामनी में डालकर व उनकी लाश को गड़ढा खोद कर दबाने का कृत्य अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति अभियुक्त के संज्ञान के बिना कर सकता है, यह परिकल्पना नहीं की जा सकती बल्कि अभियुक्त

के पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध था क्योंकि वह अपने घर के अन्दर क्या गतिविधि कर रहा है, इसका ज्ञान घर के बाहर किसी व्यक्ति को आसानी से नहीं हो सकता। अभियुक्त के द्वारा किस समय गड़दा खोदा गया, किस समय बच्चों की लाशों को उसमें डाला गया तथा किस समय उनके उपर मिट्टी डालकर उन्हें दवाया गया। यह सारे प्रश्न अनुत्तरित हैं क्योंकि मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य का नहीं बल्कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का है और अभियुक्त ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो यह जानता है कि उसने किस विशिष्ट समय पर क्या किया ? और उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती वह अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

यह प्रश्न विचारण के अन्त तक अनुत्तरित रहा है कि बच्चों को किस समय मिट्टी में दवाया गया किंतु यह स्पष्ट है कि मिट्टी में दबाये जाने से पूर्व बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी क्योंकि शव विच्छेदन आख्या में मृत्यु का कारण गला कसने से दम घुटने के कारण होना अंकित है तथा दोनों बच्चों की लाशों को गड़दा खोद कर दबाने का कृत्य हत्या के साक्ष्य को विलोपित करने के प्रयोजन से किया गया, यह परिस्थिति भी अभियुक्त के प्रतिकूल है क्योंकि साक्ष्य को विलोपित करने का कार्य अपराध कारित करने वाला व्यक्ति अथवा उसका सहयोगी ही करेगा अन्य कोई नहीं।

साक्षी पी0डब्ल्यू01 वादी ने अपने मौखिक साक्ष्य में यह भी कहा है कि मुल्जिम उक्त मोवाइल नम्बर से आवाज बदल बदल कर बात करता था और कहता था कि रूपयों का इन्तजाम कर लाओ तेरे बच्चे पकड़ में हैं और रूपये पहुँचाने की जगह बदल—बदल कर बताता था, तभी मुझे अपने चरेरे भाई महीपाल हाजिर अदालत पर शक हुआ और महीपाल मेरे व मेरे भाई के पास रूपये मँगाने को पर्चे डालता था और फिर पर्चा डालने के बाद हमसे इस बात की तहकीकात करता था कि फिरौती के लिए पर्चा तो नहीं आया। शक होने पर मैंने व मेरे भाई ब्रजेश ने सारी बात पुलिस को बतायी। प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि मेरे बच्चों के गायब होने से मेरे रिपोर्ट लिखाने तक अभियुक्त महीपाल हमारे घर आता था और खाना भी हमारे ही घर

खाता था । इसका एकमात्र प्रयोजन यही हो सकता है कि अभियुक्त इस सीमा तक चालाकी कर रहा था कि वह सामान्य व्यवहार का प्रदर्शन करता रहा ताकि किसी को शक नहो किन्तु बातचीत पूछताछ के दौरान वादी को उस पर शक उत्पन्न हुआ और उसने पुलिस को अपने शक के सम्बन्ध में बतलाया ।

धारा 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत यह एक सुसंगत तथ्य है कि घटना के पश्चात अभियुक्त के द्वारा स्वयं का सहज व्यवहार दर्शित किया जा रहा था तथा वह पूर्ववत् वादी के घर न केवल आता रहा बल्कि खाना भी खाता था, अभियुक्त शक से बचने के लिये ऐसा कर रहा था यह तथ्य उसकी दोषिता को इंगित करने वाली एक अन्य कड़ी है तथा इस व्यवहार के सम्बन्ध में वादी का मौखिक कथन सुसंगत साक्ष्य है ।

प्रतिरक्षा का यह भी तर्क है कि 2 बच्चों की हत्या करके उनकी लाश को गड्ढा खोद कर दबाने का कार्य एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता अतः अभियुक्त निर्दोश हैं ।

पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त 27 वर्ष की आयु का स्वस्थ ग्रामीण परिवेश में निवास करने वाला नवयुवक है । उसने अपना व्यवसाय भी काश्तकारी होना कहा है । ग्रामीण परिवेश में काश्तकारी का कार्य करने वाला युवा व्यक्ति कठोर श्रमसाध्य कार्यों को स्वयं करता है । दोनों मृतक क्रमशः 6 वर्ष एवं 7 वर्ष की आयु के अवोध बच्चे हैं । अभियुक्त पारिवारिक सम्बंधों के कारण उनका चाचा लगता है उसको निकट आते समय बच्चों को यह आभास भी होना सम्भव नहीं रहा होगा कि उनके उपर बाज की तरह दृश्टि लगाये सामने खड़ा व्यक्ति उनको मारने वाला है । ऐसी परिस्थिति में दोनों बच्चों को गला दबाकर मार देने का कृत्य एक स्वस्थ युवा व्यक्ति के लिए असाध्य नहीं है, विश्वासाश्रित पारिवारिक सम्बन्धों के चलते यह भी सम्भव है कि उसने एक बच्चे को बहाने से कहीं अन्यत्र व्यस्त रखा हो और पहले एक बच्चे की हत्या कर दी हो उसके पश्चात दूसरे की हत्या की हो, और बच्चों के अवोध होने के कारण निश्चय ही उसे किसी विशेष प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा होगा । प्राण निकलने की

अवोध बच्चों की छटपटाहट के अतिरिक्त अन्य कोई विरोध ये मासूम बच्चे नहीं कर सके होंगे। कठोर हाथों को मासूम कलियों को मसल कर फेंकने में जितना समय लगता है सम्भवतः उतने ही समय में दोनों बच्चों की जीवनलीला समाप्त हो गयी होगी।

प्रतिरक्षा का यह तर्क आधाररहित ही नहीं बल्कि अव्यवहारिक है क्योंकि 2 मासमूँ बच्चों की एक स्वस्थ युवा व्यक्ति के सामने स्थिति वैसी ही होती है जैसी कि किसी मजबूत बाज के पंजों में फॅसे किसी छोटे जीव की।

उल्लेखनीय यह है कि प्रस्तुत मामले में केवल अभियुक्त महीपाल ही बच्चों के अपहरण एवं उनकी हत्या करने तथा साक्ष्य विलोपित करने के लिए दोशारोपित किया गया है अन्य किसी व्यक्ति का न तो अपहरण एवं हत्या में कोई योगदान होना कथित है और न ही किसी व्यक्ति को अभियुक्त के कृत्य की जानकारी होना कथित है, इसी कारण से बच्चों की हत्या हो गयी है इस तथ्य का उद्घाटन उनकी लाश बरामदगी के उपरान्त ही हो सका है। जहाँ कि सम्पूर्ण घटनाक्रम एकमात्र व्यक्ति के द्वारा अपने मरितिश्वक में बनाये गये तानेबाने के अनुरूप की गयी है और अपने घर का स्वामी होने के कारण उसे अपनी योजना को कियान्वित करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ। अपने घर की चहारदीवारी के अन्दर किये जा रहे इस कृत्य का अन्य किसी व्यक्ति को आभास न होना स्वाभाविक है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई आपराधिक कृत्य शडयंत्र करके करते हैं तो उसके उद्घाटित होने की सम्भावना उतनी ही अधिक हो जाती है जबकि अकेले व्यक्ति के द्वारा किया गया कृत्य यदि एकान्त में किया जाये तो अन्य कोई व्यक्ति नहीं जान सकता कि उसने कब और किस प्रकार से घटना को कारित किया है।

यदि यह परिकल्पना करके देखा जाये कि अभियुक्त की निशांदेही पर उक्त लाशें बरामद न हुई होतीं, अभियुक्त की घटना के पश्चात की गतिविधियों से वादी को उसके उपर शक न हुआ होता और पुलिस ने उसके शक के आधार पर पूछताछ न की होती तो दोनों अवोध त बच्चों की लाशें जमीन के अन्दर पता नहीं कब तक पड़ी रहतीं और

उनके माता-पिता यही सोचते रहते कि किसी ने उनके बच्चों का अपहरण कर लिया है, वे अपने बच्चों को मृत मानने की दुःखद परिकल्पना भी नहीं कर पाते और 2 अवोध शरीर अपने मानवोचित अन्तिम संस्कार से भी वंचित रह जाते।

अभियुक्त के द्वारा अपने कथन धारा 313 दं0प्र0सं0 में मोवाइल संख्या 7895848163 से धमकी दिये जाने तथा इसी मोवाइल संख्या से आवाज बदल-बदल कर वादी को फोन करने के प्रश्न के उत्तर में कहा है कि साक्षी ने गलत व्यान दिया है किंतु उसने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि उपरोक्त मोवाइल उसका नहीं है। वस्तुतः यह विवेचक का उत्तरदायित्व था कि वह मोवाइल सिम संख्या 7895848163 की कॉल डिटेल आदि के आधार पर यह ज्ञात करता कि अभियुक्त के द्वारा वास्तव में इस मोवाइल नम्बर का प्रयोग करके वादी को उसके फोन पर धमकी दी गयी किंतु सिम की बरामदगी के उपरान्त भी विवेचक द्वारा उपरोक्त नम्बर की कॉल डिटेल न निकलबाया जाना विवेचना के प्रति उसकी उदासीनता दर्शित करता है। उपरोक्त सिम किस व्यक्ति के नाम आवंटित था ? इस तथ्य के सम्बंध में कोई साक्ष्य विवेचक के द्वारा संकलित नहीं किया गया है जबकि यह एक महत्वपूर्ण एवं सुसंगत साक्ष्य हो सकता था। प्रश्न यह है कि क्या विवेचक की इस त्रुटि का कोई प्रभाव प्रस्तुत मामले में सावित की जा चुकी परिस्थितियों पर पड़ता है ? वस्तुतः मोवाइल की कॉल डिटेल से अभियुक्त द्वारा सम्पर्क किये जाने की पुष्टि होने पर एक सकारात्मक साक्ष्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी में और जुड़ सकता था किंतु इस साक्ष्य के न जुड़ने का कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन के कथानक पर नहीं है।

धारा 313 दं0प्र0सं0 में प्रश्न-18 के उत्तर में अपने विरुद्ध मुकदमा रंजिशन चलना कहा है तथा यह भी कहा है कि उसके विद्यराम की पत्नी शान्ति के साथ नाजायज सम्बंध थे, जिसकी जानकारी होने पर उसे रंजिशन इस मुकदमे में फँसाया गया है। जहाँ तक वादी द्वारा अपनी पत्नी के साथ अभियुक्त से अवैध सम्बंध होने के कारण उसे फँसाये जाने का प्रश्न है सर्वप्रथम

तो यह है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध सम्बंध होने का ज्ञान होने पर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करेगा अथवा उस दूसरे व्यक्ति को रोकने का प्रयास करेगा न कि अपने व अपने भाई के अवैध बच्चों की हत्याकरके उसका दोशारोपण अभियुक्त के गले मढ़ेगा, यह कल्पना भी नहीं की जा सकती। अभियुक्त का यह कथन न केवल प्रतिरक्षा में कियागया निराधार कथन है बल्कि उसकी मनः स्थिति एवं मानसिक स्तर का परिचायक है कि वह प्रतिरक्षा प्राप्त करने भर के प्रयोजन से इस सीमा तक निम्नस्तर तक जा सकता है कि चर्चेरे भाई की पत्नी के साथ अपने अवैध सम्बंध होने की स्वीकारोक्ति कर न केवल अपने कृत्य के दायित्व से बचने का प्रयास कर रहा है बल्कि एक महिला के चरित्र को कलंकित करके उसकी सामाजिक मान मर्यादा को भी धूलधूसरित कर रहा है जब कि इस कथन के आधारस्वरूप कोई अन्य तथ्य ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि उसके कथन की पुश्टि होती हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, 'आर० शाजी बनाम केरल राज्य 2013(3) सी०सी०एस०सी०1268 (एस०सी०)' में कहा गया है कि मिथ्या प्रतिरक्षा अभियुक्त के प्रतिकूल परिस्थिति की एक कड़ी है।

अभियुक्त के उपर जान से मारने की धमकी देने के सम्बंध 1 में आरोप विरचित किया गया है। जान से मारने की धमकी मोवाइल पर ही ही दिया जाना कहा गया है। प्रतिरक्षा का तर्क है कि साक्ष्य में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा जान से मारने की धमकी वादी को किन शब्दों में दी गयी, मात्र इतना कहा गया है कि, 'मुझ से मिलो वरना जान से मार डालूँगा' इस आशय की धमकी उसको दिनांक 11-01-2013 को मोवाइल संख्या 7895848163 से मिली।

प्रतिपरीक्षा में पी०डल्यू-१ के द्वारा कहा गया है कि अभियुक्त मोवाइल पर आवास बदल-बदल कर बात करता था जिससे उसे शक हुआ तथा पुलिस को सूचना दी गयी कि उसे महीपाल पर शक है। इस प्रकार मोवाइल संख्या 7895848163 से धमकी बच्चों को मार देने के सम्बंध में दिया जाना सावित है।

निश्कर्ष के तौर पर सम्पूर्ण घटनाक्रम, जैसा कि

अभियोजन के कथानक में कहा गया है तथा उसके सम्बंध में प्रस्तुत किये गये मौखिक दस्तावेजों एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य मामले के वस्तु प्रदर्श तथा परिस्थितियों की सुदृढ़ श्रंखला पर भलीभाँति विचार करने के उपरांत प्रत्येक परिस्थिति मौन होते हुए भी चिल्ला-चिल्ला कर अभियुक्त की दोशिता का बखान कर रही है तथा यह स्पष्ट है कि दोनों बच्चों को हत्या के प्रयोजन से अपहृत करके रस्सी से उनका गला दबाकर दम घोटकर उनकी मृत्यु कारित करने और मासूम बच्चों के शव को अपने घर के अन्दर जानवरों के चारा खाने वाली लड़ामनी के पास दबाकर अपहरण एवं हत्या की साक्ष्य का विलोपन करने के कुत्सित कृत्य करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं मामले का आरोपी अभियुक्त महीपाल ही है और इसके अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा यह अपराध कारित नहीं किया गया है।

इस प्रकार सम्पूर्ण साक्ष्य से अभियुक्त की अनन्य रूप से दोशिता दोनों मासूम बच्चों का अपहरण, हत्या एवं साक्ष्य विलोपन करने तथा फोन द्वारा बच्चों की हत्या की धमकी वादी को देकर भयोपारित करने के लिए सन्देह से परे सावित होती है और अभियुक्त भा०द०सं० की धारा 364, 302, 201,506 के अंतर्गत दोष सिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त महीपाल को सत्र परीक्षण संख्या 310/2013, सम्बंधित अपराध संख्या 06/2013, धारा 364, 302, 201,506 भा०द०सं०, थाना दातागंज के लिए दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त अभिरक्षा में निरुद्ध है, उसे दण्ड पर सुने जाने हेतु दिनांक 18-11-2014 को प्रस्तुत किया जाये।

(भूदेव गौतम)

दिनांक: 13-11-2014

अपर सत्र न्यायाधीश,

न्यायालय कक्ष संख्या-7,

बदायूँ।

18 / 11 / 2014

दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुना गया तथा अभियोजन की ओर से विद्वान् सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) श्री जगत सिंह को सुना गया।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त को 2 बच्चों का अपहरण, उनकी हत्या करने और हत्या के उपरान्त उनकी लाशों को मिट्टी में दबाकर, अपहरण एवं हत्या का साक्ष्य विलोपित करने तथा वादी को उसके बच्चों को मार डालने की धमकी फोन से देने के सम्बंध में क्रमशः धारा 364, 302, 201, 506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दोशसिद्ध किया गया है।

दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोश है। उसके परिवार में वृद्ध माता-पिता हैं व पत्नी है तथा एक लगभग 2 वर्श आयु की बेटी है। उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा यह उसकी प्रथम दोशसिद्ध है। अतः दण्ड के प्रश्न पर उदारता वरती जाये।

विद्वान् सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) ने तर्क करते हुए कहा है कि अभियुक्त ने अपने ही कुटुम्ब के 2 सगे चचेरे भाइयों के मासूम बच्चों की एकसाथ निर्ममतापूर्वक गला दबाकर हत्या कारित की है तथा उनकी लाश को अमानवीय तरीके से गड्ढा खोदकर सड़ने, गलने के लिए अपने ही घर में जानवरों के चारा खाने वाली लड़ामनी के पास दबाकर अपहरण एवं हत्या के साक्ष्य का विलोपन किया है, न केवल उसके द्वारा फोन पर आवाज बदल कर वादी को बच्चों की हत्या करने की धमकी दी गयी, बल्कि हत्या करने के उपरान्त भी उनके घर जाकर खाना खाया, उनके साथ घुलमिल कर अपने चचेरे भाई के परिवार के साथ विश्वासघात किया है। दो अवोध बच्चों की निर्मम हत्या न केवल समाज के समक्ष निन्दनीय बल्कि मानवीयता की सम्पूर्ण सीमाओं के परे उसका यह कृत्य पाशविक है। ऐसा व्यक्ति जिसने 2 मासूम बच्चों के जीवन को समाप्त करने का यह कृत्य किया है उसे समाज में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है और वह मृत्यु दण्ड के योग्य है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) ने यह भी कहा है कि अपने ही कुटुम्ब के 2 बच्चों की हत्या, पैत्रक सम्पत्ति के लिये अर्थात परिवार के एक अविवाहित वुजुर्ग द्वारा अपनी सम्पत्ति दोनों बच्चों की दादी के नाम कर दिये जाने से क्षुब्ध होकर प्रतिशोधस्वरूप यह कृत्य किया गया है अतः यह विरल से विरलतम श्रेणी में आने वाला हत्या का अपराध है, जिसके लिए अभियुक्त को मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाना चाहिए।

मैंने उभयपक्ष के दण्ड के प्रश्न पर प्रस्तुत किये गये तर्कों को सुना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मृत्यु दण्ड की वैधानिकता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं के सम्बंध में समेकित रूप से विचार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा पारित निर्णयज विधि, बचान सिह बनाम पंजाब राज्य '1980 सुप्रीम कोर्ट केसिस (क्रिमिनल) 580' में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बहुमत से यह अवधारित किया गया है कि मृत्युदण्ड का दण्डादेश व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं है और उपयुक्त मामले में मृत्यु दण्ड अनुमन्य है।

न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तुत मामला अपरण, हत्या एवं साक्ष्य विलोपन का ऐसा मामला है जिसे विरल से विरलतम श्रेणी में माना जाना चाहिए ?

अभियुक्त की आयु, उसके द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं अपराध कारित करने का ढंग, अपराध से समाज में जाने वाला सन्देश ही ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु हैं, जिन पर न्यायालय को विचार करना है। साथ ही साथ दण्ड के प्रश्न पर न्यायालय को यह भी विचार करना है कि दण्ड की मात्रा से समाज में उचित सन्देश का प्रसार हो सके।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुन्दर उर्फ सुन्दरराजन बनाम राज्य (2013) 3 सुप्रीम कोर्ट केसेज 215 में अपहरण एवं हत्या के मामले में जहाँ कि एक 7 वर्षीय बच्चे का फिरोती के लिए अपहरण किया गया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गयी थी और हत्या करने के उपरान्त शव को साक्ष्य विलोपन की दृष्टि से छिपा दिया गया

था, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सम्पुष्ट किये गये दण्डादेश को उचित मानते हुए अपील निरस्त करके अभियुक्त को मृत्यु दण्ड दिये जाने की पुश्टि की है।

इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि—

'74.The life of a particular individual can not be taken away except according to the procedure established by law and that is the constitutional mandate. The law contemplates recording of special reasons and , therefor the expression 'special' has to be given a definite meaning and connotation. 'Special reasons' in contradiction to 'reasons' simpliciter conveys the legislative mandate of putting a restriction on exercise of judicial discretion by placing the requirement of special reasons.

76.---- the principles that were stated in **Bachan Singh (1980 SCC (Cri) 580)** and thereafter in **Machhi Singh (1983 SCC (Cri.) 681.** The aforesaid judgements ,primarily dissects these principles into two different components- one being the 'aggravating circumstances' while the other being the Mitigating circumstances '. The court would consider the cumulative effect of both these aspects and normally, it may not be very appropriate for the court to decide the most significant aspect of sentencing policy with reference to one of the classes under any of the following heads while completely ignoring other classes under other heads. To balance the two is the primary duty of the court . It will be appropriate for the court to come to a final conclusion upon balancing the exercise that would help to administer the criminal justice system better and provide an affective and meaningful reasoning by the court as contemplated under S. 354(3) Cr.PC.

Aggravating Circumstances

- (1) . The offences relating to the commission of heinous crimes like murder, rape, armed dacoity, kidnapping, etc. by the accused with a prior record of conviction for capital felony or offences committed by the person having a substancial history of serious assaults and criminal convictions.
- (2). The offence was committed while the offender was engaged in commission of another serious offence.
- (3). The offence was committed with intention to create fear psychosis in the public at large and was committed in a public place by a weapon or device which could be clearly hazardous to the life of more than one person.
- (4). The offence of murder was committed for ransom or like offences to receive money or monetary benefits.
- (5). Hired killing .
- (6). The offence was committed outrageously for want only while involving inhuman treatment and torture to the victim.
- (7) The offence was committed by a person while in lawful custody.
- (8). The murder or the offence was committed to prevent a person lawfully carrying out his duty like arrest or custody in a place of lawful confinement of himself or another. For instance murder is of a person who had acted in lawful discharge of his duty under s.43 Cr.PC.
- (9). When the crime is enormous in proportion like making an attempt of murder of the entire family or members of a particular community.
- (10). When the victim is innocent, helpless, or a person relies upon trust of relationship and social norms, like a child, helpless woman , a daughter or a niece staying with a father/ uncle and is inflicted with the crime by such a trusted person.
- (11). When murder is committed for a motive which

evidences total depravity and meanness.

(12). When there is a cold-blooded murder without provocation.

(13). The crime is committed so brutally that it pricks or shocks not only the judicial conscience but even the conscience of the society.

Mitigating circumstances

(1). The manner and circumstances in and under which the offence was committed, for example extreme mental or emotional disturbance or extreme provocation in contradistinction to all these situations in normal course.

(2). The age of the accused is a relevant consideration but not a determinative factor by it self.

(3). The chance of accused of not indulging in commission of the crime again and the probability of the accused being reformed and rehabilitated.

(4). The condition of the accused shows That he was mentally defective and the defect impaired his capacity to appreciate the circumstances of his criminal conduct.

(5). The circumstances which, in normal course of life would render such a behavior possible and could have the effect of going rise to mental imbalance in the given situation like persistent harrment or,in fact, leading to such a peak of human behavior that in the fact and circumstances of the case , the accused believed that he was morally justified in committing the offence.

(6). where the court upon proper appreciation of evidence is of the view that the crime was not committed in a preordained manner and that the death resulted in the course of commission of another crime and that there was a possibility of it being construed as consequences to the commission of the primary

crime.

(7). where it is absolutely unsafe to rely upon the testimony of a sole eyewitness though the prosecution has brought home the guilt of the accused.

77. While determining the question relatable to sentencing policy the court has to follow certain principles and those principles are the loadstar besides the above considerations in imposition of otherwise of death sentence.

Principles

(1). The court has to apply the test to determine , if it was the **“rarest of the rare”** case for imposition of death sentence.

(2). In the opinion of the court, imposition of any other punishment i.e. life imprisonment would be completely inadequate and would not meet the ends of justice.

(3). Life imprisonment is a rule and **death sentence is an exception.**

(4). The option to impose sentence of imprisonment for life cannot be cautiously exercised having regard to the nature and circumstances of the crime and all relevant considerations .

(5). The method (**planned or otherwise**) and the manner (**extent of brutality and inhumanity etc.**) in which the crime was committed and the circumstances leading to commission of such heinous crime.

79. The court then would draw a balance-sheet of aggravating and mitigating circumstances. Both aspects have to be given their respective weightage.

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के द्वारा जिस प्रकार से अपने ही चचेरे भाइयों के दो पुत्रों की अपहरण कर नृशंस तरीके से हत्या करके उनकी लाशों को अपने घर के अन्दर जानवरों के चारा खाने वाली लिडामनी के पास गढ़ा खोदकर दबाये गये है यह मामला

साधारण लड़ाई झगड़े में अथवा किसी आवेश में अचानक हुई घटना का मामला न होकर समाज में स्थापित परिवार कुटुम्ब व रिश्तों के मानदण्डों की भी हत्या का मामला है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षण का मापदण्ड स्थिर किया है, बच्चों के साथ अभियुक्त का एक विश्वाश्रित सम्बन्ध था बच्चे अबोध होने के कारण उसका प्रतिरोध करने की स्थिति में भी नहीं रहे होंगे, घटना अचानक घटित न हो कर अभियुक्त की पूर्व निर्धारित योजना की उपज प्रतीत होती है, उसके द्वारा बच्चों को घर में ले जाकर रस्सी से गला कसकर उन्हें मारना, एक बच्चे की हत्या के पश्चात दूसरे की हत्या करना, तथा दोनें बच्चों की लाशें गढ़ा खोदकर उसमें तीन फिट नीचे दबा देना, तथा घटना कारित करने के पश्चात भी परिवार से घुल मिल कर रहना, वादी के घर जाकर खाना खाते रहना इस तथ्य का परिचायक है कि अपराध पूर्ण परिपक्वता के साथ तथा सोच विचार कर किया गया, तथा न केवल कारित किया गया, बल्कि उसका साक्ष्य भी विलोपित कर दिया गया जिसके कारण 13 दिन तक कोई जान न सका कि बच्चों के साथ कोई घटना घटित हो गयी है।

इन समस्त परिस्थितियों से शंहहतंअंजपदह परिस्थितियों का गठन होता है। सम्पूर्ण मामले में उपजपहंजपदह परिस्थितियाँ दूर-दूर तक दर्शित नहीं होतीं। न अपराध अचानक आवेश में किया गया है, न किसी अन्य अपराध के कारित किये जाने के दौरान अचानक हुआ है, अभियुक्त के व्यवहारके सम्बन्ध में ऐसा कोई कथन नहीं है कि वह अचानक अपना नियन्त्रण खो बैठता हो और यह घटना कारित करदी गयी हो, अभियुक्त की प्रतिकूल मानसिक दशा का भी कोई साक्ष्य नहीं है और न वह इतनी अपरिपक्व आयु का है कि अपने द्वारा कारित कृत्य की पृकृति को न जान सका हो, अभियुक्त के द्वारा 2 बच्चों की निर्ममतापूर्वक हत्या का कृत्य निश्चय ही विरल से विरलतम श्रेणी का मामला है क्योंकि दोनों बच्चे अबोध हैं और उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, न हो सकती थी। जिन हाथों में उनकी सुरक्षा का दायित्व था उन्हीं हाथों के द्वारा उनके गला दबाकर उनके जीवन को समाप्त किया गया। अपने कर्तव्य से विमुख होकर मानवीयता की समस्त

सीमाओं को लांघ कर किये गये इस कृत्य को करने वाला व्यक्ति समाज में जीवित रहने का अधिकार नहीं रखता। अतः प्रस्तुत मामले में मृत्यु दण्ड ही एक ऐसा दण्ड हो सकता है जिससे कि समाज में ऐसे कूरतापूर्ण कृत्य के सम्बंध में एक उदाहरण स्थापित हो सकता है।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त की कूरता के शिकार हुए दोनों बच्चे उसी की वंशावली की समानान्तर शाखा पर पले 2 अधिखिले पुश्प थे, जैसे कि एक हाथ अपने दूसरे हाथ पर प्रहार कर दे, कश्ट शरीर को ही होगा। इसी प्रकार से परिवार के एक सदस्य द्वारा दूसरी समानान्तर शाखा के 2 बच्चों की निर्ममतापूर्वक हत्या न केवल परिवाररूपी सम्पूर्ण वट वृक्ष की क्षति है, बल्कि परिवार की परम्परा के सामाजिक ढाँचे पर प्रहार है और पूरा समाज और मानवीय मूल्यों की पैरवी करने वाला प्रत्येक सिर शर्म से झुकने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसे मामले में क्या आकान्ता को अपने जीवन को अक्षुण्य बनाये रखने का अधिकार प्रदान करना चाहिए?

दूसरा विचारणीय प्रश्न यह भी है कि अभियुक्त ने जैसा बताया है कि उसकी एक अवोध पुत्री तथा पत्नी एवं वृद्ध माता-पिता परिवार में हैं। क्या अभियुक्त को दिये गये दण्ड से उनके प्रति कोई अन्याय तो नहीं हो जायेगा ?

परिवार के एक सदस्य द्वारा अच्छा कार्य करने पर सम्पूर्ण परिवार को उसका श्रेय मिलता है और समाज में उसका आदर होता है वहीं परिवार का एक सदस्य कोई निन्दनीय कार्य करता है तो पूरे परिवार को निन्दा का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार मोर्चे पर एक सिपाही यदि अपने पराक्रम को त्याग कर कायरता का प्रदर्शन करता है, तो उसकी कायरता के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण देश की स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार समाज के ढाँचे के प्रति कारित आपराधिक कृत्य से सम्पूर्ण समाज प्रभावित होता है।

अभियुक्त 27 वर्ष का स्वरूप नवयुवक है जिसके जीवन से उसके परिवार एवं समाज को बहुत सी आशाएँ रही होंगी यह स्वाभाविक है, वह किसी की मॉग का सिंदूर है और किसी बच्चे के सिर पर उसके वात्सल्य की छाया है किंतु उसका कृत्य स्वयं में इतना कूर है कि इन

सभी बिन्दुओं को दरकिनार करके और अपनी परिस्थितियों पर विचार न करके अपने परिवार की आशाओं को धूमिल एवं परिवार को कलंकित किया है, दोनों बच्चों के जीवन को, जीवन का अर्थ समझने से पूर्व ही समाप्त किया है, उसके कृत्य से 2 माताओं का वात्सल्यपूर्ण औचल सूना हो गया है और न केवल समाज बल्कि राश्ट्र 2 भावी नागरिकों से वंचित हो गया है। अतः ऐसे मामले में दण्ड की मात्रा समाज में ऐसे कृत्य की पुनरावृत्ति रोकने में सहायक हो सके, उस श्रेणी का होना चाहिए।

अतः मेरे विचार में प्रस्तुत मामले में अभियुक्त को अबोध बच्चों की दोहरी हत्या के लिए धारा 302 भा०द०सं० के अंतर्गत विरल से विरलतम श्रेणी का अपराध होना पाते हुए उसकी मृत्यु होने तक फॉसी तक लटकाये जाने का दण्डादेश दिया जाना परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित होगा।

इसके साथ ही साथ अभियुक्त को दोनों बच्चों के अपहरण के लिए धारा 364 भा०द०सं० के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा व 25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये अर्थदण्ड से तथा धारा 201 भा०द०सं० के अंतर्गत हत्या एवं अपहरण के साक्ष्य विलोपन के लिए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10,000/- (दस हजार) रुपये अर्थदण्ड से तथा हत्या करने की धमकी देकर अभित्रास करने के लिए धारा 506 भा०द०सं० के अन्तर्गत सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किये जाने से न्याय के उददेश्य की पूर्ति हो सकेगी।

आदेश

अभियुक्त महीपाल पुत्र लालमन, उम्र 27 वर्ष को सत्रपरीक्षण संख्या 310/2013 सम्बंधित अपराध संख्या 6/2013 थाना दातागंज में उसके सिद्धदोश दोहरी हत्या के अपराध के लिये धारा 302 भा०द०सं० के अंतर्गत मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को गर्दन में रस्से के फन्दे से तब तक लटकाया जावे जब तक कि उसका प्राणान्त हो गया घोशित न कर दिया जाये।

मृत्यु दण्ड के उक्त दण्डादेश का निश्पादन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुश्टि किये जाने के अध्यधीन होगा।

अभियुक्त महीपाल को हत्या के प्रयोजन से अपहरण के लिए धारा 364 भा०दं०सं० के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा व 25,000/- (पच्चीस हजार) रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम पर दो वर्श का कारावास भोगेगा।

अभियुक्त को हत्या के साक्ष्य के विलोपन के लिये 201 भा०दं०सं० के अंतर्गत सात वर्श के कठोर कारावास की सजा तथा 10,000/- (दस हजार) रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम पर एक वर्श का कारावास भोगेगा।

अभियुक्त को वादी मुकदमा को दोनों बच्चों की हत्या की धमकी देकर भयोपारित करने के लिये धारा 506 भा०दं०सं० के द्वितीय भाग के अंतर्गत सात वर्श के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त की समस्त सजायें एक साथ चलेंगी।

इस सत्र परीक्षण की सम्पूर्ण पत्रावली आवश्यक अभिलेखों सहित अविलम्ब जिला न्यायाधीश महोदय के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय को अध्याय 28 द०प्र०सं० के अन्तर्गत दण्डादेश के अनुमोदन हेतु सन्दर्भित की जाये।

(भूदेव गौतम)

दिनांक 18-11-2014

अपर सत्र न्यायाधीश,

न्यायालय संख्या-7, बदायूँ।

निर्णय, मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में सुनाकर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

(भूदेव गौतम)

दिनांक 18-11-2014

अपर सत्र न्यायाधीश,

न्यायालय संख्या-7, बदायूँ।